

अगस्त 2004

भारत में आपदा प्रबंधन

-स्थिति रिपोर्ट-

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग

अगस्त 2004

भरत में आपदा प्रबंधन

-स्थिति रिपोर्ट-

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग

विषय सूची

अनुभाग	विषय	पृष्ठ सं.
I	परिचय	
II	संस्थागत और नीति फ्रेमवर्क	
III	आपदा निवारण एवं न्यूनीकरण	
IV	तत्परता	
V	निष्कर्ष	
	अनुबंध	
	i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क	
	ii) दसवीं योजना - आपदा प्रबंधन पर अध्याय	
	iii) राज्य सरकारों के लिए दिशानिर्देश	

खंड 1

परिचय

1.1 भारत अपनी अनूठी भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के लिए पारंपरिक रूप से जोखिमपूर्ण क्षेत्र है। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन बारबार घटित होने वाली घटनाएं हैं। कुल भूमि का लगभग 60% भाग विभिन्न तीव्रताओं के भूकंप का संभावित क्षेत्र है; 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र है; लगभग 8% क्षेत्रफल चक्रवात प्रवण क्षेत्र है और 68% क्षेत्र में सूखेका खतरा रहता है। 1990-2000 के दशक में, औसतन 4344 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 30 मिलियन लोग हर साल आपदाओं से प्रभावित होते हैं। निजी, समुदाय और सार्वजनिक संपत्ति की हानि के मामले खगोलीय (आस्ट्रोनोमिकल) है।

1.2 वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं पर काफी चिंता जताई गई है। यहां तक कि पर्याप्त वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति के बावजूद भी आपदाओं के कारण जीवन और संपत्ति के नुकसान में कोई कमी नहीं आई है। वास्तव में जीवन की क्षति और आर्थिक नुकसान और अधिक बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में, जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने और ठोस अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक क्षति को कम करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से विकासशील देशों में, 1990-2000 के दशक को अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

1.3 अक्टूबर, 1999 में उड़ीसा में सुपर चक्रवात और जनवरी, 2001 में भुज, गुजरात में आए भूकंप में विविध वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, वित्तीय और सामाजिक प्रक्रियाओं को शामिल करने के बहु-आयामी प्रयासों को अपनाने की जरूरत को रेखांकित किया गया; बहु-अनुशासनात्मक और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता, विकास की योजनाओं और रणनीतियों में जोखिम कम करने के समावेशन पर बल दिया गया है।

1.4. पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार के आपदा प्रबंधन के बारे में दृष्टिकोण में एक बदलाव आया है। यह नया दृष्टिकोण इस विश्वास के साथ काम करता है कि विकास को तब तक बना के नहीं रखा जा सकता जब तक कि इस विकास प्रक्रिया में आपदा न्यूनीकरण को शामिल न कर लिया जाए। इस दृष्टिकोण का अन्य आधार यह है कि यह आपदा न्यूनीकरण बहु-विषयक हो और विकास के सभी क्षेत्रों तक फैला हो। नई नीति भी इस विश्वास के साथ अमल में लाई जाए कि राहत और पुनर्वास पर व्यय की अपेक्षा आपदा के न्यूनीकरण में निवेश अधिक प्रभावी है।

1.5 आपदा प्रबंधन को इस देश के नीति फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है क्योंकि दैवी प्रकोप/ आपदाओं से सबसे अधिक गरीब और कमजोर लोग ही प्रभावित होते हैं।

1.6 सरकार द्वारा उठाए गए कदम ऊपर दिए गए दृष्टिकोण से प्रकट होते हैं। इस दृष्टिकोण को संस्थागत तंत्र, आपदा रोकथाम नीति, पूर्व चेतावनी सिस्टम, आपदा न्यूनीकरण, तत्परता और प्रतिक्रिया और मानव संसाधन विकास को समाहित करते हुए राष्ट्रीय आपदा फ्रेमवर्क [एक रोडमैप] में अंतर्भूत किया गया है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर शामिल किए जाने वाले संभावित इनपुट, हस्तक्षेप के क्षेत्रों और एजेंसियों की पहचान और इन्हें रोडमैप में सूचीबद्ध किया गया है। यह रोडमैप सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ साझा किया गया है। मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों, और राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय रोडमैप को व्यापक दिशानिर्देशों के रूप में अपनाते हुए अपने-अपने रोडमैप

तैयार करें। इसलिए, अब एक सामान्य नीति अपनाई गई है जिसमें कार्रवाईभाग लेने वाले सभी संगठनों / हितधारकों द्वारा की जाएगी। इस रोडमैप की एक प्रति अनुबंध-1 में दी गई है।

1.7 परिवर्तित दृष्टिकोण को निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है:

(क) संस्थागत परिवर्तन

(ख) नीति निरूपण

(ग) कानूनी और तकनीकी-कानूनी फ्रेमवर्क

घ) विकास प्रक्रिया की मुख्यधारा में न्यूनीकरण को लाना

ड.) वित्त पोषण तंत्र

च) आपदा का न्यूनीकरण करने वाली विशेष स्कीमें

छ) तत्परता उपाय

ज) क्षमता निर्माण

झ) मानव संसाधन विकास

और इनमें से सबसे ऊपर समुदाय सहभागिता। इनके बारे में आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है।

संस्थागत और नीति फ्रेमवर्क

2.1 स्वतंत्रता के बाद से आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास का कार्य करने के लिए संस्थागत और नीति संबंधी तंत्र भली भांति स्थापित है। ये तंत्र जहां तक आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास का कार्य करने का संबंध है, पर्याप्त प्रबल हैं। तथापि परिवर्तित नीति / दृष्टिकोण आपदा पूर्व न्यूनीकरण, रोकथाम और तत्परता के आपदा पूर्व पहलुओं पर कार्य करने पर जोर देते हैं और नीति में परिवर्तनों के सफलतापूर्वक निपटान के लिए नया संस्थागत मकैनिज्म प्रस्तुत किया जा रहा है।

2.3 न्यूनीकरण, तत्परता और प्रतिक्रिया, ऐसे बहु-विषयक कार्य हैं जिनमें बहुत से मंत्रालय / विभाग शामिल होते हैं। इस अंतर-विषयक दृष्टिकोण को लागू करने में संस्थागत मकैनिज्म सहायता प्रदान करता है। बहुत सी शाखाओं को कवर करते हुए विशेषज्ञों के साथ इस समन्वय और बहु-विषयों को उजागर करने के लिए संबंधित मंत्रालयों / विभागों के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव किया जाता है। राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण को बनाए रखा जाना प्रस्तावित है। संगठन बड़ी संख्या में शाखाओं को कवर करते हुए विशेषज्ञों के साथ बहु-विषयात्मक होगा। राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण को एक संयुक्त सचिवालय / निदेशालय की संरचना के रूप में प्रस्तावित किया गया है - एक ऐसी संरचना जो सरकार का एक अभिन्न अंग होता है जबकि यह साथ ही साथ इसमें फील्ड संगठन कालचीलापन भी बरकरार रखा जाता है। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता गृह मंत्रालय में सरकार के सचिव / विशेष सचिव के रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसके सदस्य स्वास्थ्य, जल संसाधन, पर्यावरण और वन, कृषि, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, रसायन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास मंत्रालयों / विभागों तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि होंगे। यह प्राधिकरण प्रायः जरूरत पड़ने पर बैठक करेगा और चेतावनी प्रणाली, न्यूनीकरण के उपाय और आपदा तत्परता की स्थिति की समीक्षा करेगा। जब कोई आपदा उत्पन्न होती है तो प्राधिकरण आपदा प्रबंधन की गतिविधियां आरंभ करेगा। प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा: -

- राज्य सरकारों को विशेष संसाधन डेटा, आपातकालीन प्रतिक्रिया के मैक्रो-प्रबंधन, विशेषज्ञ आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों, संबंधित डेटा बेस को बांटने आदि के माध्यम से आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान करना।
- आपदा में कमी / न्यूनीकरण के लिए सरकार की नीतियों में समन्वय स्थापित करना / इनके संबंध में आदेश जारी करना।
- सभी स्तरों पर पर्याप्त तत्परता सुनिश्चित करना
- आपदा के घटित होने पर प्रतिक्रिया का समन्वय स्थापित करना।
- आपदा उपरांत राहत और पुनर्वासन कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रांतीय सरकार की सहायता करना।

- इस कार्य में संलग्न सभी राष्ट्रीय सरकारी विभागों/ एजेंसियों के संसाधनों का समन्वय करना।
- विकास की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में आपदा न्यूनीकरणकी अपेक्षित सुविधाओं को लागू करना और इनका मॉनिटर करना।
- सरकार द्वारा इसे सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

राज्यों को भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तथासदस्यों के रूप में संबंधित विभागों[जल संसाधन,कृषि, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण और वन, शहरीविकास, गृह, ग्रामीण विकास आदि]के मंत्रियों के साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कहा गया है। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश - तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, गुजरात, केरल, नागालैंड, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन और चंडीगढ़ प्रशासन को प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के प्राधिकरण बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

2.4 राज्यों के राहत विभाग की पुनः संरचना: राज्य स्तर पर, आपदा उपरांत राहत कार्य का राहत और पुनर्वास विभागों द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ आपदा प्रबंधन के विभागों में इनके राहत और पुनर्वास की वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा आपदा न्यूनीकरण तथा तत्परता के अतिरिक्त दायित्व के साथ राहत एवं पुनर्वास के विभागों का पुनर्गठन करने के प्रयोजन से कार्य करती है। यह बदलाव पहले से ही 11 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, सिक्किम और लक्षद्वीप में हो चुका है। यह परिवर्तन अन्य राज्यों में प्रक्रियाधीन है। राज्यों को आपदा प्रबंधन विभाग को समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्धारित कार्य करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग में अधिकारियों / कर्मचारियों का पुनर्गठन / पुनः समूहन करने की सलाह दी गई है। चार कार्य समूह, जिन्हें इस विभागों में विशिष्ट कार्यों सौंपे गए हैं, नीचे दिए गए हैं -

कार्यात्मक समूह 1: खतरा न्यूनीकरण

कार्यात्मक समूह 2: तत्परता और क्षमता निर्माण

कार्यात्मक समूह 3: राहत और प्रतिक्रिया

कार्यात्मक समूह 4: प्रशासन और वित्त

2.5 जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट, जो मुख्य समन्वयक होता है, प्रतिक्रिया और राहत से संबंधित अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से अलग रोकथाम, आपदा न्यूनीकरण और तत्परता से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र बिन्दु होगा। जिला समन्वय और राहत समिति का आपदा प्रबंधन समितियों के रूप में पुनर्गठन/ पुनः अभिसंरचन किया गया, जिनमें सदस्यों के रूप में संबंधित विभागों के अधिकारियों को जोड़ा जाता है। इसके आपदा न्यूनीकरण और रोकथाम के विस्तारित अधिदेश के कारण विकास में लगे विभागों के जिला प्रमुखों को अब समिति में शामिल किया जा रहा है जिससे कि आपदा न्यूनीकरण और रोकथाम को जिला योजना की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। आपदा तत्परता और प्रतिक्रिया योजना तैयार करने का वर्तमान सिस्टम बना रहेगा। तथापि, एक दीर्घकालिक आपदा न्यूनीकरण योजना भी होगी। 256 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन समितियां पहले से ही गठित की जा चुकी हैं और शेष जिलों में इस समिति को गठित करने की प्रक्रिया चल रही है।

2.6 इसी प्रकार, उप-प्रभागीय और ब्लॉक / तालुका स्तर पर भी आपदा प्रबंधन समितियां गठित की जा रही हैं। गांव पर स्तर आपदा प्रबंधन समितियां और आपदा प्रबंधन टीमों का गठन किया जा रहा है। बहु-खतरा प्रवण जिलों के प्रत्येक गांव में एक आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाएगी। ये आपदा प्रबंधन समिति जो योजना तैयार करती है उसमें ग्राम स्तर के चुने हुए प्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर/सहयोगी स्टाफ, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक आदि सहित सरकारी पदाधिकारी शामिल होते हैं। इस योजना में आपदा की रोकथाम, न्यूनीकरण और तत्परता के उपाय शामिल रहते हैं। ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन टीमों में नेहरू युवक केंद्र जैसे युवा संगठन और अन्य गैर-सरकारी संगठन तथा साथ ही गांवों के शारीरिक रूप से सक्षम स्वयंसेवक शामिल होंगे। टीमों को निकासी, खोज और बचाव, प्राथमिक उपचार, आघात उपचार आदि में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आपदा प्रबंधन समिति वर्ष में कम से कम एक बार आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा करेगी। यह समिति गांव की सुभेद्यता के आधार पर विशिष्ट खतरों के प्रति कृताकृत के विषय में गांव के लोगों में जागरूकता का प्रसार भी करेगी। एक बड़ी संख्या की गांव स्तर आपदा प्रबंधन समितियां और आपदा प्रबंधन टीमों पहले से ही गठित की जा चुकी हैं।

2.7 आपदा प्रबंधन नीति: आपदा प्रबंधन विविध विषय से संबंधित गतिविधि है, जिसमें विकास के सभी क्षेत्रों के बहुत से विभागों / एजेंसियों को शामिल किया जाता है। जहां बहुत से विभाग/एजेंसियां शामिल हों, वहां किसी नीति का भली-भांति लागू होना अनिवार्य है क्योंकि यह सभी संगत विभागों और एजेंसियों के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करती हैं। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया गया है और यह परामर्श के लिए प्रक्रियाधीन है। आपदा प्रबंधन में ध्यान परिवर्तन के साथ यह नीति विकास की योजना में आपदा न्यूनीकरण एकीकृत करने का प्रस्ताव है। यह नीति केंद्र सरकार की सभी गतिविधियों के बारे में सूचना देती है और विद्यमान क्षेत्रीय नीतियों पर रोक लगाएगी। इस नीति का व्यापक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के कारण होने वाले जीवन और सामाजिक, निजी और सामुदायिक संपत्ति के नुकसान को कम करना होता है और सतत विकास और सभी के लिए विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के लिए बेहतर मानकों में यह सुनिश्चित करते हुए योगदान देना है कि विकासात्मक लाभों की प्राकृतिक विपदा / आपदा के कारण क्षति न हो।

2.8 इस नीति में दिया गया है कि राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से आपदा रोकथाम और न्यूनीकरण सहित आपदा प्रबंधन के लिए जवाबदेह होती हैं जबकि भारत सरकार समय - समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करती है और प्रस्ताव करती है कि ये समग्र फ्रेमवर्क चलता रहे। हालांकि आपदा पर प्रतिक्रिया के लिए सरकार के सभी विभागों में उपलब्ध संसाधनों को समन्वय की आवश्यकता होती है। इस नीति में यह अधिदेश है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिल कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार का समन्वय मकैनिज्म कमांडों की समुचित श्रृंखला के माध्यम से ही तैयार किया जा सकता है जिससे कि संसाधनों को जुटाने का कार्य किया जा सके।

2.9 आपदा प्रबंधन पर मसौदा राष्ट्रीय नीति की व्यापक विशेषताएं नीचे प्रतिपादित की गई हैं: -

i) आपदा प्रबंधन के लिए रोकथाम, न्यूनीकरण और तत्परता की दिशा में एक समग्र सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

ii) केन्द्रीय / राज्य सरकार के प्रत्येक मंत्रालय / विभाग सुभेद्यता को कम करने और आपदा के प्रति तत्परता के लिए विशिष्ट स्कीमों / परियोजनाओं के लिए योजना के तहत समुचित मात्रा में राशि अलग से रखेंगे।

iii) जहां बहुत सी परियोजनाएं चल रही हों वहां आपदा न्यूनीकरण करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चालू स्कीमों / कार्यक्रमों में न्यूनीकरण के उपायों को शामिल किया जाए।

iv) आपदा खतरा प्रवण क्षेत्र में अनिवार्य शर्त के रूप में न्यूनीकरण लागू करना होगा। परियोजना रिपोर्ट में यह विवरण शामिल करना होगा कि परियोजना में भेद्यता में कमी किस प्रकार आएगी।

v) समुदाय की भागीदारी और जागरूकता का प्रसार, विशेष रूप से जनसंख्या के सुभेद्य भागों और महिलाओं के संबंध में स्थायी आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए आवश्यक के रूप बल दिया गया है। यह नीति का महत्वपूर्ण घटक होता है क्योंकि समुदाय सबसे पहले आपदा के लिए प्रतिक्रिया देते हैं और इसलिए जब तक इन्हें आपदाओं से निपटने के लिए अधिकार नहीं दिए जाते और सक्षम नहीं बनाया जाता, तब तक बाह्य समर्थन के कोई इष्टतम परिणाम नहीं निकलेंगे।

vi) आपदा रोकथाम / भेद्यता में कमी के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में कॉरपोरेट क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों और मीडिया के साथ निकट संपर्क होना चाहिए।

vii) संस्थागत ढांचे / कमांड की उचित श्रृंखला का निर्माण किया जाए और विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्तरों पर समन्वित और त्वरित प्रतिक्रिया की जाती है और आपदा स्थिति के दौरान संसाधनों के बंटवारे के लिए अंतरराज्यीय की व्यवस्था विकसित की जाती है।

viii) क्षमता निर्माण के उपायों के लिए सभी स्तरों पर योजना और तत्परता की संस्कृति को शामिल किया जाए।

ix) राज्य और जिला स्तर पर और साथ ही साथ प्रासंगिक केंद्र सरकारी विभागों में विशिष्ट आपदाओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और आपदा प्रबंधन की योजना बनाई जाए।

x) निर्माण डिजाइन प्रासंगिक भारतीय मानकों में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए।

xi) भूकंपीय जोन तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम में सभी लाइफ लाइन इमारतों जैसे- अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों / हवाई अड्डा नियंत्रण टॉवर, फायर स्टेशन भवनों, बस स्टैंडों, प्रमुख प्रशासन केंद्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पुनः प्रबलित किया जाए।

xii) राज्यों में लागू विद्यमान राहत कोड को आपदा के न्यूनीकरण और तत्परता के लिए विशेष ध्यान के लिए योजना प्रक्रिया को संस्थागत करने के लिए कोड / मैनुअल आपदा प्रबंधन में लागू करने के लिए विकसित किया जाता है।

xiii) राष्ट्रीय सामरिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप आपदा प्रतिक्रिया, तत्परता और न्यूनीकरण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

2.10 राज्यों को लोगों के जीवन की हानि को कम करने के व्यापक उद्देश्य और सामाजिक, निजी और सामुदायिकसंपत्तियों के नुकसान को कम करने के लिए और सतत विकास में योगदान करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन नीतियां तैयार करने की सलाह दी गई है। गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में आपदा प्रबंधन के लिए राज्य नीतियां हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह प्रक्रियाधीन है।

कानूनी और तकनीकी-कानूनी ढांचे(फ्रेमवर्क)

2.11 आपदा प्रबंधन अधिनियम: राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए सलाह दी गई है। यह अधिनियम अधिकारियों को आपदा न्यूनीकरण, तत्परता और प्रतिक्रिया के लिए सहयोग प्रदान करने और साथ ही आवश्यक न्यूनीकरण / रोकथाम उपायों का समन्वय करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है। दो राज्य गुजरात और बिहार में पहले से ही इस तरह के एक कानून लागू किया है। अन्य राज्यों में यह प्रक्रियाधीन है।

2.12 आपदा प्रबंधन कोड: बदले दृष्टिकोण के साथ, राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण योजनाओं के साथ प्रतिक्रिया और राहत के अलावा तत्परता के तत्वों की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया तैयार करने के लिए अपनी राहत संहिताओं को आपदा प्रबंधन संहिताओं में परिवर्तित करने की सलाह दी जाती है। कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की अध्यक्षता में गठित समिति ने एक मॉडल आपदा प्रबंधन संहिता का मसौदा तैयार किया है, जिसे इस प्रक्रिया में सहायता के लिए राज्यों में परिचालित किया गया है। कई राज्यों ने भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोडों को संशोधित करने के लिए समितियां गठित की हैं। ये संशोधित कोड सुनिश्चित करेंगे कि ये आपदा प्रबंधन योजनाएं और न्यूनीकरण तथा तत्परता उपाय बनाने की प्रक्रिया कार्यरत हो।

आपदा निवारण और न्यूनीकरण

3.1 माह मई, 1994 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर अंतरराष्ट्रीय दशक से उत्पन्न योकोहामा संदेश आपदा के न्यूनीकरण के लिए रणनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन की जरूरत पर जोर देता है। इसमें अन्य बातों के साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, तत्परता और राहतचार ऐसे तत्व हैं जो टिकाऊ विकास नीतियों के कार्यान्वयन से लाभ में योगदान देते हैं। ये तत्व पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के साथ-साथ परस्पर निकटता से संबंधित हैं अतः इस बात की सिफारिश की जाती है कि राष्ट्र को अपनी विकास योजनाओं में इन्हें शामिल करना चाहिए और समुदाय, उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर इनके लिए कारगर अनुवर्ती कार्रवाई के उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। योकोहामा रणनीति इस बात पर भी जोर देती है कि भेद्यता में कमी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपदा प्रतिक्रिया की तुलना में आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण और इसके लिए तैयारियां रखना बेहतर होता है। अकेले आपदा प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं होती क्योंकि यह एक बहुत ही उच्च कीमत पर केवल अस्थायी परिणाम देती है। रोकथाम और न्यूनीकरण सुरक्षा में स्थायी सुधार प्रदान करते हैं और ये एकीकृत आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं।

3.2 आपदा प्रबंधन को विकास कार्यों के लिए मुख्यधारा में लाना: भारत सरकार ने अपनी विकास की नीति के अनिवार्य घटक के रूप में आपदा न्यूनीकरण और रोकथाम को अपनाया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय है दिया गया है। उक्त अध्याय की एक प्रति अनुबंध-11 पर संलग्न है। यह योजना इस तथ्य पर जोर देती है कि विकास की प्रक्रिया में आपदा न्यूनीकरण को शामिल किए बिना विकास को स्थायी नहीं बनाया जा सकता। प्रत्येक राज्य को योजना में उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुसार आपदा न्यूनीकरण के लिए एक योजना तैयार करनी होगी। संक्षेप में, न्यूनीकरण को विकास योजना की मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है।

3.3 वित्तीय व्यवस्था: जैसा कि पिछले अध्याय में उल्लेख किया गया है वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य धन के हस्तांतरण और साथ ही साथ राहत और पुनर्वास के लिए परिव्यय के संबंध में सिफारिशें करता है। इससे पहले वित्त आयोगों को राहत और पुनर्वास का कार्य सौंपा गया था। बारहवें वित्त आयोग को सौंपे गए कार्य बदले जा चुके हैं और वित्त आयोग को उसके विद्यमान राहत और पुनर्वास कार्यों को देखने के अलावा इसे आपदा न्यूनीकरण और इसके रोकथाम का कार्य भी सौंपा जा चुका है। राज्यों के परामर्श के उपरांत बारहवें वित्तीय आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस ज्ञापन में न्यूनीकरण निधि बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जो राज्यों की जीवन रक्षक इमारतों के पुनरुद्धार, तटीय इलाकों में वृक्षारोपण आदि जैसे आपदा न्यूनीकरण उपायों में मदद करेगी।

3.4 भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां कहीं बहुत सी परियोजनाएं हों, वहां आपदा न्यूनीकरण से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी अनिवार्य होगा कि खतरा प्रवण क्षेत्र में प्रत्येक परियोजना की कार्य की शर्तों में आपदा रोकथाम / न्यूनीकरण एक शर्त होगी और इस परियोजना के दस्तावेज में इस बात का उल्लेख किया गया हो कि किस प्रकार यह परियोजना इस कार्य की शर्तों को पूरा करेगी। इन दिशानिर्देशों की एक प्रति अनुबंध -111 में दी गई है।

3.5 बाढ़ के लिए तैयारियां और प्रतिक्रियाएं: बाढ़ की स्थिति में इससे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी बाढ़ की आशंका वाले राज्यों में राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए हैं। राज्यों को राज्य, जिला, ब्लॉक / तालुका और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए सहायता दी जा रही है। बाढ़ से बचाव की तैयारियों और इसके न्यूनीकरण के उपायों की जरूरत पर सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। इस कार्यक्रम के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को बाढ़ आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश 17 बहु-खतरा संभावित में हैं जहां यह कार्यक्रम यूएनडीपी, यूएसएड और यूरोपीय आयोग की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

3.5 भूकंप के जोखिम का न्यूनीकरण: भूकंप के जोखिम के न्यूनीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है। हालांकि भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंपीय जोन में निर्माण के लिए मानक तैयार किए हैं, किंतु इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण टाउन और देश आयोजना अधिनियम और भवन निर्माण विनियमों से विनियमित नियंत्रित होता है। बहुत से मामलों में भवन निर्माण विनियमों में बी आई एस कोड शामिल नहीं किए जाते। जहां पर ये मानक शामिल भी किए गए हैं वहां पर वास्तुकारों और इंजीनियरों को भूकंपीय दृष्टि से सुरक्षित निर्माण की जानकारी की कमी होना और साथ ही लोगों में भूकंप के खतरे के बारे में जागरूकता की कमी के कारण शहरी / उप-शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निर्माण कार्य भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों को अपनाए बिना किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत अधिक मकान गैर-इंजीनियरिंग आधारित निर्माण होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण में मिट्टी और फूस से बदल कर ईंट और कंक्रीट से निर्माण की पद्धति में परिवर्तन हुआ है जिससे भेद्यता में वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण लोगों को नदी के तट के आपदा सुभेद्य क्षेत्र में रहने पर विवश होना पड़ रहा है जहां पानी का खतरा रहता है। सरकार इन मुद्दों का समाधान करने के लिए काम किया है।

3.6 भूकंप के जोखिम के न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कोर ग्रुप: भूकंप के जोखिम कम करने के लिए एक राष्ट्रीय कोर समूह गठित किया गया है यह समूह भूकंप इंजीनियरिंग विशेषज्ञ और प्रशासकों को मिलाकर बनाया गया है। इस कोर समूह को भूकंप के प्रभाव को कम करने; भूकंप के न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं पर राज्यों को परामर्श और दिशानिर्देश देने; भूकंपरोधी निर्माण के लिए हैण्डबुक/ पम्फेट / डिजाइन के प्रकार व्यवस्थित करने; अपने भवन निर्माण के उपनियमों में भारतीय मानक ब्यूरो की संहिताओं को शामिल करने के लिए भूकंपीय रूप से जोखिम भरे क्षेत्रों के संबंध में राज्यों की सहायता का सिस्टम तैयार करने; भारतीय मानक ब्यूरो कोड और संशोधित उपविधियों की मुख्य विशेषताओं के संबंध में नगर निगम के इंजीनियरों के साथ ही साथ निजी क्षेत्र के वास्तुकारों और कार्यरत इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए सिस्टम विकसित करने; आर्किटेक्ट / इंजीनियरों के भूकंपरोधी निर्माण के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रमाणीकरण की एक प्रणाली विकसित करने, राजमिस्त्री के लिए प्रशिक्षण का सिस्टम विकसित करने और गहन जागरूकता अभियान चालू करने के कार्य सौंपे गए हैं।

3.7 भवन निर्माण कानूनों और उनको अपनाने की समीक्षा: भूकंप के दौरान संरचनाओं के ढहने की वजह से अधिकांश लोग हताहत होते हैं। इसलिए संरचनात्मक न्यूनीकरण उपायों का हमारे देश में भूकंप से सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों के राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसे क्षेत्रों के लिए निर्माण कार्यों की समीक्षा करें और यदि आवश्यक

हो, तो भारतीय मानक ब्यूरो के भूकंपीय कोड के अनुसार अपने भवन निर्माण उपनियमों में संशोधन करें। अनेकराज्यों ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। भूकंप के जोखिम न्यूनीकरण पर कोर ग्रुप द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने पहले से ही मौजूदा टाउन औरकंट्री प्लानिंग अधिनियमों, भूमि उपयोग जोनिंग रेगुलेशन, विकास नियंत्रणविनियम एवं भवन निर्माण उपनियमों के लिए समुचित संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसका उपयोग विद्यमान विधिक लिखत का उन्नयन करने के लिए राज्य सरकारों औरस्थानीय निकायों द्वारा किया जा सकता है।आदर्शभवन निर्माण उपनियमों में सभी नए निर्माणों में सुरक्षा पहलुओं का तकनीकी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और संरचनात्मक रूप से कमजोर मौजूदा निर्माण के प्रबलन को उन्नयन करना शामिल किया जाए।मौजूदा भवन उपविधियों की समीक्षा और राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को अपनाने को सुविधाजनक बनाने के लिएदेश में क्षेत्रीय स्तर पर चर्चा कार्यशालाओं आयोजन किया जा रहा है। यह उम्मीद है कि सभी आयोजन प्राधिकारी और स्थानीय निकाय के जल्द ही विकास नियंत्रण विनियमऔर भवन उपविधियांहोंगी, जिनमें बहु-आयामी खतरों से सुरक्षा प्रावधान शामिल होंगे।

3.8 संहिताओं(कोडों) का विकास और संशोधन: हमारे पास भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केकोड हैं जो बहु-खतरा प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण के लिए प्रासंगिक हैं।इनमें से कुछ कोडों कोअद्यतन करने की जरूरत है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनके लिए कोड मौजूद नहीं हैं। मौजूदा कोड में संशोधन, नए कोड और दस्तावेज / टिप्पणियों के विकासऔर इन कोड की ऑन-लाइन उपलब्धता सहित पूरे देश में इन कोड और दस्तावेजों उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। उपभोक्ता मामले, भारतीय मानक ब्यूरो और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक शीर्ष समिति का गठन भूकंप जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रासंगिक कोड के विकास और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित करने केमकैनिज्म और प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए किया गया।

3.9 राज्यों में खतरा सुरक्षा प्रकोष्ठ: राज्यों कोखतरा सुरक्षा प्रकोष्ठ कागठन करने की सलाह दी गई है जिसमें मुख्य अभियंता, राज्य लोक निर्माण विभाग इसके अध्यक्ष होंगे और इनके साथ इस कार्य के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग के कर्मचारी भी साथ होंगे जिससे कि भविष्य की सभी सरकारी इमारतों के निर्माण में निर्माण संहिता के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जा सके और विभिन्न खतरों से भवनों और संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एचएससी राज्य में निर्मित कीजा रही सभी सरकारी इमारतोंके डिजाइन की उचित समीक्षा के लिएभी उत्तरदायी होगा, खतरों से सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार के भवनों के लिए परामर्श प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करता है और अत्यंत महत्वपूर्ण इमारतों की मरम्मत कार्य के लिए राज्य सरकार के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है।राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में पहले से ही ये प्रकोष्ठ हैं और अन्य राज्यों में इनके गठन की प्रक्रिया चालू है।

3.10 भूकंप के जोखिम न्यूनीकरण में इंजीनियरों और वास्तुकारों की क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम : इंजीनियरों और वास्तुकारों के लिए भूकंप जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता निर्माण के लिए क्रमशःदो राष्ट्रीय कार्यक्रम,भूकंप न्यूनीकरण के लिए क्षमता का निर्माण करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए अनुमोदित किए गए हैं। इन दो कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों में 10,000 इंजीनियरों और 10,000 आर्किटेक्ट को भूकंपीय दृष्टि से सुरक्षित भवनों के डिजाइन और तकनीकी-कानूनी आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।25 से अधिक राज्य इंजीनियरिंग कॉलेजों और 110 आर्किटेक्चर कॉलेजों की क्षमता निर्माण के लिए राज्य / संघ

राज्य क्षेत्रोंकोसहायता प्रदान की जा रही है जससे कि ये तकनीकी-कानूनी व्यवस्था, भवन और ढांचे के आकलन और इनके मरम्मत कार्य (रेट्रोफिटिंग) को सही तरह से करने के लिए राज्य सरकारों को सलाहकार सेवाएं प्रदान कर सके। ये संस्थान राज्य संसाधन संस्थानों के रूप में कार्य करेंगे। इक्कीस इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर संस्थानों को चुने गए राज्य इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कालेजों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन संस्थानों के रूप में नामित किया है। चालू वर्ष के दौरान राज्याय संसाधन संस्थानों के 450 इंजीनियरिंग संकाय सदस्यों को और 250 आर्किटेक्चर संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

3.11 ग्रामीण मिस्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करना: आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को 50000 मिस्त्रियों को प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान करने में सहयोग के लिए कार्यक्रम बनाया गया। बहु-खतरा प्रतिरोधक निर्माण कार्य को शामिल करते हुए मिस्त्रियों के लिए इस प्रशिक्षण माड्यूल बनाया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संशोधित पाठ्यक्रम किया गया।

3.12 इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में भूकंप इंजीनियरिंग : यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्माण कार्यों में भूकंप से सुरक्षा की सभी शर्तों का पालन किया गया है इंजीनियरों और आर्किटेक्चरों की भूकंप जोखिम कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भूकंप इंजीनियरिंग के तत्वों को इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर स्नातक के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। आदर्श पाठ्यक्रम विभिन्न तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के द्वारा अपनाने के लिए विकसित किए गए और इन्हें तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को उनके स्नातक के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए परिचालित किया गया। गृह मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और आर्किटेक्चर परिषद (सीओए) के साथ 2005-2006 से इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

3.13 लाइफलाइन (अत्यंत महत्वपूर्ण) भवनों की रेट्रोफिटिंग: जहां एक ओर नए निर्माण की ये न्यूनीकरण उपाय देखभाल करते हैं वहीं दूसरी ओर असुरक्षित मौजूदा भवनों की समस्या बनी रहती है। यह संभव नहीं है कि विद्यमान संपूर्ण भवनों की देखभाल की जा सके, इसलिए अस्पतालों, स्कूलों जैसे लाइफ लाइन भवनों या सिनेमा हॉलों, बहुमंजिला अपार्टमेंटों की तरह के भवन, जहां बहुत से लोग एकत्र होते हैं, का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्यों को सलाह दी जाती है कि इन इमारतों का आकलन किया जाए और जहां आवश्यक हो, इनका मरम्मत कार्य किया जाए। नागरिक उड्डयन, रेलवे, दूरसंचार, बिजली और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सलाह दी गई है कि भूकंपीय दृष्टि से कमजोर क्षेत्र में स्थित लाइफ लाइन भवनों का विस्तृत मूल्यांकन करने और इनका मरम्मत कार्य करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीआईएस की शर्तों का अनुपालन किया जाता है। इन भवनों और संरचनाओं के विस्तृत जोखिम विश्लेषण और मरम्मत कार्य / सुदृढीकरण के लिए इन मंत्रालयों के द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है। वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे वित्तीय संस्थानों को आसान शर्तों पर भवनों की मरम्मत के लिए ऋण देने के लिए कहें। तदनुसार वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बीआईएस कोड / उपनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही भूकंपीय

जोखिम वाले क्षेत्रों में वित्त प्रदान करते समय/निर्माण कार्यों की मरम्मत करने के कार्य केसमुचित दिशानिर्देश जारी करने सलाह दी है।

3.14 राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनीकरण परियोजना:भूकंप न्यूनीकरण परियोजना 1132 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाई गई है। इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा सैद्धांतिक तौर पर क्लीयरेंस दे दी गई है। इस कार्यक्रम में अस्पतालों, स्कूलों, पानी और बिजली की आपूर्ति इकाइयों, दूरसंचारइमारतों, हवाई अड्डों / हवाई अड्डों पर नियंत्रण टावरों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों जैसे लाइफ लाइन भवनों और भूकंपीय जोनाIV एवं V में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवनों का विस्तृत मूल्यांकन और मरम्मत कार्यशामिल होता है।इस कार्यक्रम में राजमिस्त्रियों कोभूकंपरोधी निर्माण कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही साथ राज्य सरकारों को उचित तकनीकी कानूनी व्यवस्था में सहायता देना भी शामिल होता है।

3.15 त्वरित शहरी भूकंप जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम:एक त्वरित शहरी भूकंप भेद्यतान्यूनीकरण कार्यक्रम पचास हजार से एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले III,IV,V भूकंपीय ज़ोन के 38 शहरों में शुरू किया गया है। इन शहरों में देहरादून, दिल्ली, जामनगर, राजकोट, भावनगर, सूरत, ग्रेटर मुंबई, भिवंडी, नासिक, पुणे, भुवनेश्वर, कटक, चेन्नै, पटना, आसनसोल, गुवाहाटी, वडोदरा, कोयंबटूर, अहमदाबाद, आगरा, वाराणसी, बरेली, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, श्रीनगर, जम्मू, इंदौर, जबलपुर, अमृतसर, जालंधर, विजयवाड़ा, धनबाद, मैंगलूरु, कोच्चि, कोझीकोडऔर तिरुवनंतपुरम हैं।भूकंप से निपटने की तैयारियों और न्यूनीकरण उपायों पर उन्हें जागरूक करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय योजना और विकास निकायों के प्रतिनिधियों के लिए 474 अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए।इंजीनियरों और आर्किटेक्ट के लिए भूकंपीय दृष्टि से सुरक्षित निर्माण और भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब तक 1,088 इंजीनियर और 825 आर्किटेक्ट प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। विस्तारित स्कूल सुरक्षा के लिएस्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए।इन शहरों में भूकंप आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा लगभग 370 शिक्षण संस्थानों में दौरा किया गया।इस कार्यक्रम को भूकंपीय जोनाIV एवं V में 166 भूकंप प्रवण जिलों में लागू किया जाएगा। इन शहरों में जागरूकता प्रसार कार्यक्रम, समुदाय और क्षेत्रीय संगठन शुरू किए गए। इन शहरों कोबहु-खतरा सुरक्षा प्रावधानों को शामिल करने के लिए अपने भवन निर्माण उपनियमों की समीक्षा और संशोधन करने में भी सहायता प्रदान की जा रही है।इस परियोजना के तहत शहर आपदा प्रबंधन योजना विकसित की जा रही है। अब तक नौ शहरों में शहर आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है।

3.16 ग्रामीण विकास योजनाओं मेंन्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाना : जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए ग्रामीण आवास और समुदाय की संपत्ति इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय और संपूर्णग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक काफी बड़े पैमाने पर बनायी जाती है। सामुदायिक केंद्र, मनोरंजन केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों आदि के रूप में सामुदायिक संपत्तियों के अलावा, हर साल लगभग 250 हजार छोटी लेकिन कॉम्पैक्ट आवासीय इकाइयांबनाई जाती हैं। देश भर में फैले लगभग दो सौ ग्रामीण आवास केंद्रों को प्रौद्योगिकीय समर्थन प्रदान किया जाता है। गृह मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ दिशा-निर्देशों को बदलने के लिए काम कर रहा है जिससे कि इंदिरा आवास योजना के तहत बने घर या एसजीआरवाई के तहत बने स्कूल, भवन/ सामुदायिक भवन निर्माण भूकंप / चक्रवात / बाढ़ प्रतिरोधी हों; और साथ ही एसजीआरवाई के तहत न्यूनीकरण की स्कीमों को प्राथमिकता दी

जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। आशा है कि यह पहल गांव / ब्लॉक स्तर पर भूकंपीय रूप से सुरक्षित भवनों के निर्माण में लम्बे समय तक अपनाई जाती रहेगी।

3.17 चक्रवात न्यूनीकरण पर कोर ग्रुप: चक्रवात परनिगरानी रखने और इसके न्यूनीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कोर ग्रुप गठित किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र, केन्द्रीय जल आयोग, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विशेषज्ञों के साथ ही साथ मंत्रालयों / विभागों और चक्रवात के खतरे वाली राज्य सरकारों से प्रशासकों को इस कोर ग्रुप का सदस्य बनाया गया है। इस समूह को चक्रवातों के लिए चेतावनी प्रोटोकॉल को देखने; विभिन्न केन्द्रीय और राज्यों के मंत्रालयों / विभागों / संगठनों के मध्य समन्वय तंत्र संस्थापित करने; स्थानीय लोगों के लिए चेतावनी का प्रचार-प्रसार करने के लिए तंत्र विकसित करने; तटीय राज्यों के लिए किए जाने वाले चक्रवात न्यूनीकरण उपायों के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। यह समूह प्रौद्योगिकी उन्नयन पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव भी देगा। चक्रवात चेतावनी प्रारूपों यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया जाएगा कि जोखिम पर समुदाय के लिए चेतावनी और अधिक सार्थक हो। चक्रवात के मार्ग के पूर्वानुमान के एक परियोजना मॉडल के उन्नयन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक परियोजना चालू की जा रही है।

3.18 राष्ट्रीय चक्रवात न्यूनीकरण परियोजना: चक्रवात प्रवण राज्यों के परामर्श से चक्रवात न्यूनीकरण के लिए एक परियोजना (अनुमानित लागत Rs.1050 करोड़ रुपये) तैयार की गई है। इस परियोजना में तूफान प्रवण क्षेत्रों में चक्रवात-आश्रयों के निर्माण, तटीय आश्रय बेल्ट में वृक्षारोपण, चेतावनी प्रणाली के सुदृढीकरण, प्रशिक्षण और शिक्षा आदि पर जोर दिया जाता है। इस परियोजना को सैद्धांतिक रूप से योजना आयोग द्वारा मंजूरी भी दी गई है और इस पर विश्व बैंक की सहायता से कार्य किया जा रहा है।

3.19 भूस्खलन खतरे का न्यूनीकरण: भूस्खलन के प्रभाव को कम करने के लिए नीति तथा कार्य योजना बनाने, भूस्खलन न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, भूस्खलन खतरे के क्षेत्रों की पहचान (जोनेशन) सहित भूस्खलन न्यूनीकरण के लिए संबंधित गतिविधियों पर नजर रखने और शीघ्र चेतावनी सिस्टम विकसित करने तथा भूस्खलन / भूस्खलन जोखिम कम करने के लिए प्रोटोकॉल के लिए सचिव, सीमा प्रबंधन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कोर ग्रुप गठित किया गया, जिसमें सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग, और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और नेशनल रिमोट सेंसिंग के प्रधान भी शामिल हैं। सरकार ने भू-वैज्ञानिक अध्ययन, भूस्खलन खतरे के क्षेत्रों की पहचान, भूस्खलन / हिमस्खलन की निगरानी, इनके लिए जिम्मेदार कारकों का अध्ययन करने और इनके संबंध में एहतियाती सुझाव और इनको रोकने के उपायों के समन्वय/ इन्हें लागू करने के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) को एक जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों के करीब की बस्तियों की सूची को साझा करें जिससे कि उनके द्वारा किए जा रहे भारत की स्थलाकृतिक शीट (टोपोशीट) के सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे क्षेत्रों के आकलन के लिए और भू-स्खलन पर उनके मौजूदा डेटा के आधार पर जीएसआई की सहायता की जा सके। सभी संबंधित एजेंसियों से परामर्श के उपरांत देश में भू-स्खलन के खतरे को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जा रही है।

3.19 आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम: आपदा जोखिम प्रबंधनकार्यक्रम यूएनडीपी, यूएसएड और यूरोपीय संघ से सहायता के साथ 17 बहु-विध खतरेवाले राज्योंके 169 जिलों में शुरू किए गए हैं। इन राज्यों में असमअरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम,मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल हैं, इस परियोजना के तहत इनराज्यों की किसी राज्य /जिला/ब्लाक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए सहायता की जाती है;गांव आपदाप्रबंधन योजना पंचायती राज संस्थान और आपदा प्रबंधन टीम, जिसमें गांव के स्वयंसेवी शामिल हैं, के साथ मिल कर बनाई गई है जिन्हें, खोज और बचाव, प्राथमिक उपचार, राहत समन्वय, आश्रय प्रबंधन आदि जैसे तैयारी और प्रतिक्रिया कार्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों और जिला स्तरबहु-खतरा प्रतिरोधी आपात स्थिति प्रचालन केंद्र (ईओसी) भी स्थापित किए जा रहे हैं। जिला और राज्य आपात स्थिति प्रचालन केंद्रों के लिए उपकरण की जरूरत राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा पूरी की जाती है और इन आपातस्थिति प्रचालन केंद्रों को साधन संपन्न करने के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनजिलों में आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी में राजमिस्त्री, इंजीनियरों और आर्किटेक्टों का अभिविन्यास प्रशिक्षणशुरू किया गया हैऔर प्रदर्शन के लिए मॉडल भवनों का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा।

3.20 इस कार्यक्रम के तहत आपदा प्रबंधन योजना 8643 गांवों, 1046 ग्राम पंचायतों, 188 ब्लॉकों और 82 जिलोंके लिए तैयार की गई है। स्वैच्छिक संगठनों के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा पंचायती राज संस्थाओं के 29000से अधिकनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पहले से ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। लगभग 18000 सरकारी पदाधिकारियों को आपदा न्यूनीकरण और विभिन्न स्तरों पर आपदा संबंधी तत्परता में प्रशिक्षित किया गया है। 865 इंजीनियरों और 425 आर्किटेक्ट को भेद्यता मूल्यांकन और लाइफ लाइन (अति महत्वपूर्ण) भवनों के मरम्मत कार्यों के इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है।600 मास्टर प्रशिक्षकों और 1200 शिक्षकों को पहले से ही में विभिन्न जिलों में आपदा संबंधी तत्परता और आपदा न्यूनीकरण में प्रशिक्षित किया जा चुका है। गांव / शहर स्थानीय निकाय / वार्ड स्तर सहित सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि,सिविल समाज के सदस्य, सिविल सुरक्षा स्वयंसेवक और सरकारी कार्यकर्ता शामिल होते हैं। आपदा प्रबंधन दल गांवों में गठित किए गए हैं और इन्हें प्राथमिक चिकित्सा, बचाव, निकासी और ऐसे ही संबंधित विषयों में बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जोर समुदाय की क्षमता बढ़ाने पर होता है क्योंकि समुदाय निरपवाद रूप से सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। समुदाय का क्षमता निर्माण सामान्य परिस्थितियों में भी इक्का - दुक्का डूबने, जलने आदि जैसी घटनाओं के घटित होने की स्थिति में भी बहुत उपयोगी रहता है। आपदा न्यूनीकरण के बारे में जानकारी होने पर समुदाय किसी भी आपातस्थिति में सुगठित इकाई के रूप से कार्य कर पाएगा।आपदा प्रबंधन समितियों के पर्यवेक्षण के अधीन समय-समय पर कृत्रिम अभ्यास किया जाता है।आपदा प्रबंधन समितियों और आपदा प्रबंधन टीमों कागठन राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी कर किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पूरा सिस्टम गैर-संस्थागत है और यह कार्यक्रम के समाप्त होने पर बिखर नहीं जाता है। इस कार्यक्रमके तहत जोर दिए गए मुख्य बिंदुओं में कार्यक्रम की स्थिरता,प्रशिक्षण माइयूल्स, नियम पुस्तिकाओं तथा संहिताओं काविकास करना, जागरूकता पीढ़ी अभियान पर ध्यान केंद्रित करना,आपदा प्रबंधन समितियों और आपदा प्रबंधन टीमों को संस्थागत बनाना, आपदा प्रबंधन योजना और अभ्यास और तकनीकी-कानूनी व्यवस्थाओं की स्थापना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देना।

3.21 मानव संसाधन विकास: सभी स्तरों पर मानव संसाधन विकास आपदा न्यूनीकरण नीति के संस्थानीकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र का उन्नयन किया गया है और इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में नामित किया गया है। एशिया में उत्कृष्टता के एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास करता है, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देता है, योजनाकारों, प्रशासकों और आदेश कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को सौंपे अन्य कार्यों के अलावा, यह आपदा प्रबंधन नीतियों के आधार पर रोकथाम तंत्र के स्तर पर संपूर्ण राष्ट्रस्तरीय सूचना का विकास, बचाव तंत्र, न्यूनीकरण उपाय, विभिन्न राज्यों को आपदा न्यूनीकरण और आपदा तत्परता के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं तथा नीतियों की तैयारी करने के साथ ही साथ उनकी आपदा प्रबंधन प्रणालियों और क्षमताओं मजबूत बनाने के लिए परामर्श प्रदान करता है। सिविल सेवा के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन के तत्वों को शामिल करने का फैसला किया गया है। तीन अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा) के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पहले से ही तैयार कर दिया गया है और 2004-2005 से इन्हें अखिल भारतीय सेवा के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अन्य सिविल सेवाओं के लिए अगले साल से शामिल करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं।

3.22 प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन (एनडीएम) प्रकोष्ठ: 28 राज्यों में स्थित 29 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन संकाय पहले से ही बनाए गए हैं। ये संकाय सीधे गृहमंत्रालय द्वारा समर्थित हैं। ये राज्य प्रशिक्षण संस्थान राज्य में विभिन्न लक्षित समूहों के लिए कई केंद्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। इन संस्थानों में आपदा प्रबंधन संकायों को विशेष आपदा के लिए उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण / कैम्पस प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकास करने में प्रबंधन में राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

3.23 जागरूकता प्रसार : आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण और इसके लिए तत्परता की मानसिकता उत्प्रेरण के लिए आपदा की सुभेद्यता के बारे में जागरूकता एक अनिवार्य शर्त है। अपनी समग्र आपदा जोखिम प्रबंधन नीति के भाग के रूप में सरकार ने एक देशव्यापी जागरूकता अभिप्रेरण अभियान आरंभ किया है। एक प्रभावी और समग्र अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मास मीडिया अभियान के लिए संचार के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के उचित प्रतिनिधित्व वाली एक संचालन समिति गठित की गई है। इस समिति ने प्राकृतिक खतरों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने के उद्देश्य से अभियान की रणनीति बनाई है और प्राकृतिक खतरों के खिलाफ सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के प्रयोजन से विज्ञापन और मीडिया के साथ जुड़ी एजेंसियों और विशेषज्ञों से सलाह ली गई है।

3.24 लोगों को अपनी सुभेद्यता के बारे में जानकारी देने और रहने के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित करने को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग के अलावा अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों, हवाई अड्डों और डाकघरों, वाणिज्यिक परिसरों और नगर पालिका कार्यालयों आदि जैसे उच्च सार्वजनिक दृश्यता स्थानों का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

3.25 आपदा जोखिम कम करने संबंधी संदेश का प्रसार करने के लिए डाक पत्रों, बैंक स्टेशनरी, रेलवे टिकटों, एयरलाइन बोर्डिंग कार्डों और टिकटों आदि जैसी सरकारी स्टेशनरी का इस्तेमाल कर इस कार्य के लिए एक आदर्श पद्धति का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए स्लोगन और संदेश पहले से ही बनाए जा चुके हैं और इन्हें मुद्रण एवं प्रसार के लिए संबंधित मंत्रालयों / एजेंसियों को भेज दिया गया है। जन संचार अभियान सुभेद्यता कम करने और टिकाऊ आपदा जोखिम प्रबंधन के उपाय करने में लोगों की जानकारी, दृष्टिकोण और कौशल में बढ़ोत्तरी कर मदद करेगा।

3.26 स्कूल के पाठ्यक्रम में आपदा जागरूकता: आठवीं और नौवीं कक्षा के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में आपदा प्रबंधन को सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) जिसने यह पाठ्यक्रम शामिल किया है, देश भर में बहुत बड़ी संख्या में स्कूल चलाता है और यह पाठ्यक्रम राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के द्वारा भी अपनाए जाते हैं। शिक्षकों को आपदा प्रबंधन को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, दसवीं कक्षा के लिए सिलेबस को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को और साथ ही साथ उनको अपने स्कूल-बोर्डों में भी इसी तरह के कदम उठाने की सलाह दी है। कई राज्य सरकारों ने पहले से ही आठवीं कक्षा में यह पाठ्यक्रम चालू कर दिया है। मंत्रालय देश के सभी 39 स्कूल-बोर्डों में सार्वजनिक शिक्षा में आपदा प्रबंधन को शामिल किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (COBSE) के साथ काम कर रहा है।

3.27 सूचना, शिक्षा और संचार: आदेश में क्षमता निर्माण और जागरूकता प्रसार की गतिविधियों में राज्य सरकारों की सहायता के लिए और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के साथ ही साथ विगत अनुभवों से सीख लेने के लिए गृह मंत्रालय ने विभिन्न संगठनों / संस्थानों द्वारा संसाधन सामग्री का एक सेट संकलित / तैयार किया गया है, जिसे अपनी स्थानीय भाषाओं में अनुवाद के बाद अपनी सुभेद्यता के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा पुनः प्रस्तुत और प्रचारित करना होगा। यह लगभग 10000 पृष्ठों की व्यापक सामग्री 7 खंडों के 4 बहूत भागों में विभाजित है। इन भागों में आपदा न्यूनीकरण और तत्परता पर मल्टीमीडिया संसाधन सहित आपदा से निपटने की योजना बनाना, शिक्षा और प्रशिक्षण; निर्माण टूलकिट और सूचना, शिक्षा और संचार टूलकिट शामिल होती है। योजना भाग में किसी समुदाय के जोखिम, आपदा से निपटने की तत्परता के विकास का विश्लेषण करने के लिए सामग्री शामिल होती है। आपदा न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन योजना उपलब्ध संसाधनों का समन्वय करती है और जोखिम कम करने के लिए उपायों का कार्यान्वयन करती है। मॉडल उपनियमों, डी.एम. नीति, अधिनियम और मॉडल स्वास्थ्य क्षेत्र योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए और इन्हें कम करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण के लिए सामग्री और नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रशिक्षकों, इंजीनियरों आदि के कौशल का उन्नयन भी शामिल है। आपदा से निपटने की तत्परता में प्राथमिक और विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूलों को प्रशिक्षण तरीकों, सामुदायिक तैयारियों और जिला, प्रखंड, पंचायत एवं ग्राम स्तर के प्रशिक्षण के लिए मैनुअल के साथ शामिल किया गया है। आपदा-प्रतिरोधी वातावरण बनाने के लिए, निर्माण टूलकिट भूकंप प्रतिरोधी निर्माण और मौजूदा इमारतों की मरम्मत से संबंधित समस्याओं से निपटती है। आरसीसी, चिनाई और अन्य निर्माण के तरीके के लिए और साथ ही मरम्मत और चिनाई कार्य में पुनः सुधार और कम मंजिला इमारतों के लिए बीआईएस कोडों, मैनुअलों और दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है।

3.28 आपदा न्यूनीकरण और जोखिम कम करने की तैयारियों के उपायों के लिए आईईसी सामग्री न्यूनीकरण की जागरूकता उत्पन्न करती है। विभिन्न राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री और रणनीति, जिसमें अलग-अलग खतरों पर सुझाव भी शामिल हैं, को आपदाओं पर तैयार मल्टीमीडिया सीडी को भी साथ शामिल किया गया है। यह सामग्री सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस अनुरोध के साथ दी गई है कि प्रत्येक जिले के जोखिम के आधार पर जहां प्रासंगिक है, इसे मंगवा लिया जाए और इसका स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर नीचे ग्राम स्तर तक व्यापक रूप से प्रसार किया जाए।

खंड IV

आपदा से निपटने की तैयारी

4.1 जोखिम कम करने और आपदा के लिए तेजी से व्यवसायिक कार्य करने के लिए न्यूनिकरण और आपदा से निपटने की तैयारी के उपायसाथ - साथ चलते हैं। जनवरी, 2001 में आए भूकंप ने प्रणाली में कई कमियों को उजागर किया। व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित खोज और बचाव दल उपलब्ध नहीं थे; विशेष श्वान दस्ते (डॉग स्क्वाड), जो मलबे के नीचे दबे जीवित लोगों को ढूँढ पाएं, उपलब्ध नहीं थे; और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए कोई केंद्रीकृत संसाधन सूची नहीं थी। यद्यपि सेना ने एक बचाव और खोज में निर्णायक भूमिका निभाई और साथ ही भुज में सरकारी अस्पताल के गिरने के बाद अपने अस्पताल की स्थापना भी की, प्रशिक्षित कर्मियों के साथ पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल अस्पतालों की बहुत अधिक जरूरत महसूस की जा रही थी। इन बाधाओं के बावजूद, कार्रवाई काफी अच्छी व्यवस्थित थी। तथापि इन बाधाओं पर पहले से ही ध्यान दिया जाता तो प्रतिक्रिया और भी अधिक व्यवसायिक और तेजी से होती जिससे जीवन का नुकसान कम होता। अन्य देशों से खोज और बचाव दल भुज पहुँचे गए थे। फिर भी काफी कीमती समय नष्ट हो चुका था और यहां तक कि इस विशेषज्ञ दल के साथ सरकार की इच्छानुसार गंभीर रूप से प्रभावित सभी क्षेत्रों को कवर नहीं किया जा सकता था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि हमें इन कमियों को दूर करना होगा और हर समय आपदा के प्रति तत्पर रहना होगा।

4.2 विशेषज्ञ प्रतिक्रिया दल: केंद्र सरकार अब केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की आठ बटालियनों को विशेषज्ञ प्रतिक्रिया दल के रूप में प्रशिक्षण देने और सभी उपयोगी संसाधन प्रदान करने की प्रक्रिया में है। प्रत्येक टीम में डॉक्टर, सहयोगी स्टाफ, संरचनात्मक इंजीनियर आदि सहित 45 कर्मी होते हैं और इस तरह इन आठ बटालियनों में 144 विशेषज्ञ खोज और बचाव विशेषज्ञ होते हैं। 144 विशेषज्ञ खोज और बचाव दल आदि को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करवाने की यह प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। 18 टीमों को अब तक प्रशिक्षित किया गया है। इन टीमों को ढह गई संरचना की खोज और बचाव, चिकित्सा प्राथमिक कार्य, बाढ़ और चक्रवात में बचाव और निकासी और पानी के नीचे से जान-माल को बचाने में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रभाव की दृष्टि से इनके पास सभी प्रकार के क्षेत्रों में सभी तरह की आकस्मिकताओं/ आपदाओं में काम करने की क्षमता होगी। यह प्रस्ताव है कि विशेषज्ञ आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की आठ बटालियनों को "राष्ट्रीय इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स " के रूप में एक साथ समूह में रखा जाए। इन विशेषज्ञ आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों को आधुनिक उपकरण और खोज एवं बचाव के लिए श्वान दस्ते उपलब्ध करवाए जाएं। इन्हें विशेष प्रकार की वर्दी जो अग्निरोधक सामग्री से बनी होती है, जिसकी कम रोशनी में दृश्यता अधिक होती है और जिसमें उपकरणों को लाने ले जाने की व्यवस्था भी हो, उपलब्ध कराई जाए।

4.3 यह निर्णय लिया गया है कि विशेषज्ञ खोज और बचाव यूनिट के अतिरिक्त केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सभी कर्मियों को भी खोज और बचाव का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि समय व्यर्थ किए बिना घटना स्थल पर उन्हें बुलाया जा सके। विशेषज्ञ टीमों के आने में विलंब होने की स्थिति में घटना की साइट के पास स्थित बटालियनों को तुरंत तैनात किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एक पाठ्यक्रम पहले से ही तैयार किया जा चुका है और इसे केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है।

4.4 राज्यों में खोजऔर बचाव दल की स्थापना: राज्यों को सलाह दी गई है कि आपदाओं का मुकाबला करने के लिए अपनी स्वयं की विशेषज्ञ टीमों की स्थापना करें। गृह मंत्रालय राज्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करेगा। कई राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों ने विशेषज्ञखोज एवं बचाव (एसएआर)इकाइयों की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में प्रशिक्षण देने के लिए दस राज्यों के पास खोज और बचाव का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र हैं।इन्होंने ऐसे प्रशिक्षकों की पहचान की है, जोसीपीएमएफ प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देंगे। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने खोज और बचाव दलों को प्रशिक्षित किया है। यह प्रावधान किया गया है कि सीआरएफ में पूंजी के वार्षिक प्रवाह का 10%खोज और बचाव उपकरणों और संचार उपकरणों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाए। राज्यों को राज्य सशस्त्र पुलिसके प्रशिक्षण में खोज और बचाव को शामिल करने की सलाह दी गई है।

4.5 क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र: बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन आदि से तत्काल बचाव की कार्रवाई करने के लिए देश भर में चौदह क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र खोले गए हैं।इन आरआरसी में उपकरण और राहत सामग्री का मानक भंडार(कैशे)रखा जाएगा और राज्य सरकारको तत्काल सहायता देने के लिए बाढ़ / चक्रवात मौसम के दौरान विशेषज्ञ रिस्पांस टीमें वहीं तैनात रहेंगी।उपकरणों के भंडारण काप्रापण किया जाएगा और सभी आरआरसी जल्द हीप्रचालन आरंभ कर देंगी।

4.6 आपातकालीन कार्य के लिए क्षमताओं के निर्माण हेतु मंत्रालय में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा।

4.7स्वास्थ्य के लिए तैयारियां : एक 200 बिस्तरों वाला चल-अस्पताल, पूरी तरह से प्रशिक्षित स्टाफ से सुसज्जित बनाया गया है और इसे दिल्ली में एक प्रमुख सरकारी अस्पताल के साथसंलग्नकिया गया है। देश के विभिन्न भागों में सभी चिकित्सा और आपातकालीन उपकरणों के साथ तीन अतिरिक्त चल-अस्पताल खोलने को प्रस्ताव है। इन चल-अस्पतालों को भी देश में अग्रणी सरकारी अस्पतालों के साथ संलग्न किया जाएगा। इससे ये चल-अस्पताल सामान्य स्थितियों में उन अस्पतालों की सहायता कर सकेंगे, जिनसे ये संबद्ध हैं।आपातस्थिति के दौरान इन्हें वायुयान से उस अस्पताल से अतिरिक्त डॉक्टरों / सहयोगी स्टाफ के साथ आपदा की साइट पर पहुंचाया जाएगा जिनसे ये संबद्ध हैं।

4.8अस्पताल की तैयारी और मेडिकल शिक्षा में आपातकालीन स्वास्थ्य प्रबंधन: किसी भी आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए अस्पताल की तैयारी महत्वपूर्ण होती है।बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की घटनाओं की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक अस्पताल को अपनी आपात तैयारी योजना बनाना जरूरी होता है और अस्पताल का प्रशासन / डॉक्टर इस आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। वर्तमान में डॉक्टरों के लिए पाठ्यक्रम में आपातकालिक आवश्यकता से निपटने के लिए अस्पताल तत्परता शामिल नहीं है।अतःआपातस्थिति के लिए वर्तमान स्वास्थ्य प्रबंधकों और चिकित्सा कर्मियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण और बड़ी संख्या में हताहत होने की घटनाओं का प्रबंधनआवश्यक है। साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में स्वास्थ्य प्रबंधक यह कौशल प्राप्त कर सकें, चिकित्सा के स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों में स्वास्थ्य आपात प्रबंधन को शामिल करने का प्रस्ताव किया जाता है।भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के परामर्श से एमबीबीएस के पाठ्यक्रममेंआपातकालीन स्वास्थ्य प्रबंधनको शामिल करने औरअस्पताल प्रबंधकों एवं व्यवसायियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की तैयारी के लिए दो समितियों का

गठन किया गया। इस प्रयोजन से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आफ हेल्थ साइंसेज, कर्नाटक की एक अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान के रूप में पहचान की गई है।

4.9 घटना कमांड सिस्टम : आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन को व्यावसायिक बनाने के प्रयोजन से देश में घटना कमांड सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव है। इस सिस्टम में घटना कमांडर के साथ विशेषज्ञ घटना कमांड टीम और साथ ही घटना प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं यथा लाजिस्टिक, प्रचालन, आयोजना, सुरक्षा, मीडिया प्रबंधन आदि में प्रशिक्षित अधिकारी शामिल होते हैं। एलबीएसएनए मसूरी को नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया गया है। अभी तक प्रशिक्षकों के लिए एलबीएसएनए मसूरी में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और 42 अधिकारियों को बेसिक एवं इंटरमिडिएट आईसीएस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 29 अधिकारियों को प्लानिंग सेक्शन माड्यूल में प्रशिक्षित किया गया है।

4.10 आपातकालिक समर्थन कार्य योजना : यह पाया गया है कि संगत विभाग संकट/ आपदा के आने पर ही टीम बनाने / संसाधन जुटाने का कार्य आरंभ करते हैं, जिससे विलंब हो जाता है। संगत विभागों / एजेंसियों को आपातकालिक समर्थन कार्य (ईएफसी) योजना तैयार करने और प्रतिक्रिया टीम गठित करने तथा समय रहते संसाधनों का पता लगाने का कार्य कर लेना चाहिए जिससे कि आपदा के प्रति प्रतिक्रिया करने में विलंब न हो। मंत्रालयों/ विभागों ने अपनी-अपनी ईएसएफ योजनाएं तैयार की हैं और इन्हें गृह मंत्रालय को सूचित कर दिया है। राज्यों से भी इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार राज्यों को पूरी आपदा राहत सामग्री को संविदा/करार - पूर्व अंतिम रूप देने का परामर्श दिया गया है जिससे कि आपदा की स्थिति होने पर राहत सामग्री प्राप्त करने में विलंब से बचा जा सके।

4.11 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क: भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क के लिए एक वेब सक्षम केंद्रीकृत डेटा बेस लागू हो गया है। आईडीआरएन विशेषज्ञ उपकरणों और विशेषज्ञ जनशक्ति संसाधनों दोनों आपदा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक और विशेषज्ञ संसाधनों की देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूची है। आईडीआरएन उपकरणों और संसाधनों की इनके प्रकार और इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार सूची तैयार की जाए करता है और इसे नियंत्रित करने के लिए उक्त संसाधन के प्रभारी अधिकारियों के संपर्क पते और टेलीफोन नंबर देता है। आईडीआरएन एक लाइव सिस्टम है जो हर तिमाही में एक बार सूची को अद्यतन करता है। इस सूची में राज्य और जिला स्तर पर प्रविष्टियां की जाती हैं। यह नेटवर्क आपातस्थिति में प्रतिक्रिया अवधि को कम से कम करने के लिए संसाधनों तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करता है। प्रणाली में अद्यतन किए जाने वाली संसाधनों की सूचीको अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसमें 226 मदें हैं। 1 सितंबर 2003 से जब भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था तब तक देश-भर में पहले से ही 545 जिलों में लगभग 69,329 के रिकॉर्ड अपलोड कर दिए गए थे। यह सिस्टम एक क्लिक मात्र पर ही विशिष्ट उपकरणों / विशेषज्ञ संसाधनों के स्थानका पता बताने के साथ ही साथ संसाधन के लिए नियंत्रण प्राधिकारी की जानकारी देगा जिससे कि कम से कम समय में इन्हें प्रतिक्रिया के लिए जुटाया जा सके। साथ ही यह डेटा बेस जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ उपलब्ध होगा।

4.12 आपातप्रचालनकेंद्र: राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम / आपातकालीन परिचालन केंद्रस्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस परियोजना के तहत आने वाले राज्यों, जो जीओआई - यूएनडीपी परियोजना के तहत कवर होते हैं, को सहायता दी जाएगी। ईओसी की स्थापना के लिए पुलिस स्कीमके

आधुनिकीकरण के तहत सहायता दी जाएगी। चौबीस घंटे कार्य करने वाला नियंत्रण कक्ष समग्र नियंत्रण कक्ष होगा, जो आपदा प्रबंधन के साथ ही साथ कानून-व्यवस्था के मुद्दे भी देखेगा। आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत इस कंट्रोल रूम के लिए उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। खतरा जोन-वार मानक लेआउट, संरचनात्मक डिजाइन और निर्माण ड्राइंग राज्य और जिला ईओसीके लिए तैयार की जाएंगी और इन्हें सभी राज्यों में वितरित किया जाएगा। बहु-खतरा प्रतिरोधी ईओसीके लिए निर्माण कार्य छह राज्यों और 64 जिलों आरंभ किया गया।

4.13 राष्ट्रीय आपात प्रचालन केंद्र: प्रभावी ढंग से समग्र आपदा / आपातकालीन संचालन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा कंट्रोल रूम को राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केंद्र (एनईओसी) के रूप में अपग्रेड किया गया है। राष्ट्रीय ईओसी पांच घटनस्थलों पर आपात स्थिति में तत्काल उपयोग मोड की समन्वय किटों में सेटेलाइट फोन, जीपीएस, कंप्यूटर, इमरजेंसी लाइट, जीआईएस सूचना प्रणाली आदि से सुसज्जित होनी चाहिए। राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केंद्र में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। अत्याधुनिक भूमिगत और सर्व-खतरा प्रतिरोधी, श्रेष्ठ ढांचागत सुविधाओं और संचार सुविधाओं से सुसज्जित राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केंद्र स्थापित किया गया है। डिजाइन मानकों को अंतिम रूप देने के लिए सीपीडब्ल्यूडी / बीएआरसी / डीआरडीओ की एक समिति स्थापित की गई है। इसके 2006 तक चालू होने की संभावना है।

4.14 राष्ट्रीय आपातकालीन संचार नेटवर्क: राष्ट्रीय और राज्य ईओसी और आपात / संकट की साइट के बीच संचार नेटवर्क वर्तमान में डॉट नेटवर्क पर आधारित है। यह देखा गया है कि एक आपदा / खतरा में, संचार व्यवस्था पहले समाप्त होती है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि बहु-मोड और मल्टी चैनल संचार सिस्टम स्थापित किए जाएं, जिससे कि पर्याप्त संचार व्यवस्था साधन उपलब्ध रहेंगे। यह निर्णय लिया गया है कि POLNET भी आपदा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा; और इसके लिए POLNET संचार सुविधा SDMs और कलेक्टर तथा साथ ही इमरजेंसी आपरेशन केंद्रों को भी प्रदान की जाएगी। आपातकालीन संचार के लिए अंतरिक्ष विभाग (इसरो) के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य ईओसी और मोबाइल इकाइयों को कनेक्ट करने के लिए वैकल्पिक उपग्रह संचार इकाइयां उपलब्ध करवाएंगे, जिन्हें आपदा के स्थल तक ले जाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के लिए एक संचार योजना तैयार करने के लिए एक समूह गठित किया गया और उक्त समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह आपदा प्रबंधन के लिए एक समर्पित संचार सिस्टम के साथ अंतर्निहित अतिरेकता (रिडंडेंसीज) उपलब्ध करवाता है। मोबाइल ईओसी और दूरस्थ मध्यसंचार व्यवस्था के लिए उपग्रह आधारित मोबाइल वॉयस / डाटा / वीडियो उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार योजना का प्रथम चरण अक्टूबर 2004 तक पूरा होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय / राज्य / जिला ईओसी को आपदा / आपात स्थल से जोड़ने के लिए संचार योजना, चरण-1 के मार्च 2006 तक पूरा होने की संभावना है। प्रयुक्त होने वाले संचार अवलंब में सामयिक लिंक (DOT), POLNET, NICNET, ISDN और SPACENET शामिल हैं।

4.15 आपदा प्रबंधन के लिए एक जीआईएस आधारित राष्ट्रीय डाटाबेस का विकास: भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) डाटा बेस एक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में सूचना तक पहुंचने में आपातकालीन रिसर्च के लिए प्रभावी उपकरण होता है। इन महत्वपूर्ण पैरामीटरों में राष्ट्र, राज्य और जिला स्तरों पर जनोपयोगी स्थल, संचार लिंक और परिवहन नेटवर्क शामिल होते हैं। जीआईएस डेटा बेस सरकार की विभिन्न एजेंसियों के पास पहले से ही उपलब्ध है और इसे अद्यतन किया गया है तथा इसमें विद्यमान अंतराल को दूर करने का प्रस्ताव भी है। व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान करने के प्रयोजन से एक परियोजना

तैयार की जा रही है। जिलेवार आधार पर यह डेटा बेस बहु-स्तरीय नक्शे प्रदान करेगा। इन मानचित्रों को किसी क्षेत्र विशेष के उपग्रह चित्रों के साथ संयोजित कर देखने से राज्य सरकारों के साथ ही साथ जिला प्रशासन को खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान और सुभेद्यता मूल्यांकन के साथ ही साथ आपदा के बाद प्रतिक्रिया समन्वय करने में मदद मिलती है। आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय के समर्थन उपकरण के रूप में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के महत्व की पहचान करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक जीआईएस डेटाबेस, 'आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस'(NDDM) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जो खतरेकी पहचान, जोखिम मूल्यांकन, आपदा तत्परता और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगा।

4.16 अग्निशमन सेवाको प्रबलित करना : आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए अन्य बहुत से देशों के सामान्य व्यवहार के रूप में अग्निशमन सेवा को बहुखतरा प्रतिक्रिया यूनिट के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए एक परियोजना (अनुमानित लागत रु. 2457 करोड़) तैयार की गई है। योजना आयोग ने सैद्धांतिक रूप में इस परियोजना को क्लीयरेंस प्रदान कर दी है। संसाधनों को जुटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक अग्निशमन यूनिट पर आग बुझाने वाली गाड़ी के अतिरिक्त बचाव गाड़ी उपलब्ध करवाने और उप प्रभागीय स्तर पर सभी अंतरालों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है। राज्यों की राजधानियों और संघ शासित शहरों के लिए हजमत वैन उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इस कार्य को करने के लिए अतिरिक्त फायर मैनों, ड्राइवर्स को भर्ती करना अनिवार्य हो जाएगा और इन्हें आपदा प्रतिक्रिया यूनिट के सभी कार्यों को दक्षता से करने के योग्य बनाने के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक होगा।

4.17 सिविल डिफेंस का सुदृढीकरण: भारत के पास नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड स्वयंसेवकों का एक बड़ा नेटवर्क है। इनकी मौजूदा संख्या लगभग 1.2 मिलियन है। बहरहाल, यह संगठन अभी तक आपदा शमन, आपदा तत्परता और आपदा प्रतिक्रिया कार्यों के साथ नहीं जुड़ा है। आपदा तत्परता सहित आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में सुधार करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

4.18 खतरनाक सामग्री की हैंडलिंग: भोपाल गैस त्रासदी को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ बातचीत की है और खतरनाक पदार्थों के औद्योगिक रखरखाव के लिए नए दिशा-निर्देश राज्यों को भेज दिए हैं। यह निर्धारित किया गया है कि खतरनाक सामग्री की हैंडलिंग करने वाले उद्योगों के लिए ऑनसाइट और ऑफसाइट (कार्यस्थल पर या कार्य स्थल से इतर) आपदा प्रतिक्रिया योजना को जिला प्रशासन के परामर्श से अद्यतन किया जाए और हर साल एक बार इसका अभ्यास किया जाए। यह भी निर्धारित किया गया है कि खतरनाक सामग्री से जुड़ी किसी भी दुर्घटना के मामले में इन उद्योगों के द्वारा क्या करें / क्या न करें के बारे में आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

4.19 गांव / शहरी स्थानीय निकाय / वार्ड स्तर सहित सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन समितियों और आपदा प्रबंधन टीमों के विकास के स्तर का निर्धारण समुदाय और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के लिए आपदा के लिए तत्परता उपायों के अनुसार संस्थापित किए जाएंगे।

4.20 पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देना : पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर परिषद को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। एनईसी को आपदा प्रबंधन के लिए (रिसोर्स) व्यक्ति / सलाहकार उपलब्ध करवाए गए हैं। पूर्वोत्तर परिषद के शासी निकाय में पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुभेद्यता पर एक विस्तृत प्रस्तुति के लिए और व्यापक आपदा प्रबंधन योजना के लिए

आवश्यकता पर जोर दिया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई और एक घोषणा अर्थात् "शिलांग घोषणा" विकास योजना के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों द्वारा आपदा प्रबंधन को एकीकृत करने के लिए अपनाई गई है। 140 अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधन व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन्स) के रूप में कार्य करने के लिए आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है। राज्य और जिला स्तर पर संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

4.21 इस खंड और इससे पहले खंडों में उल्लिखित आपदा शमन और तत्परता के उपायों के साथ यह आशा की जाता है कि प्राकृतिक खतरों से यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक कारगरता से निपटा जाए किये खतरे आपदाओं में परिवर्तित हों।

खंड V

निष्कर्ष

5.1 आपदा प्रबंधन के लिए बहु-अनुशासनिक और समर्थक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संस्थागत और नीतिगत ढांचे के लिए विभिन्न उपायों के अलावा, आपदा रोकथाम, आपदा शमन और आपदा से निपटने की तैयारियां इस पत्र में प्रतिपादित की गई हैं और इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों, समुदाय, नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा पहल की गई है और एक सुरक्षित भारत की दिशा में एक साथ बढ़ने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मीडिया को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सभी जगह यह संदेश प्रचारित किया जा रहा है कि सुरक्षित और स्थायी राष्ट्रीय विकास प्राप्त करने की दिशा में, विकास की परियोजनाओं को आपदा शमन के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

5.2 हमारा मिशन स्वाभाविक या मानव निर्मित सभी प्रकार के जोखिमों की सुभेद्यता को कम करना है। इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या और देश में व्यापत बहुविध प्राकृतिक खतरों को ध्यान में रखते हुए यह लक्ष्य हासिल करना आसान काम नहीं है। तथापि यदि हमारे इरादे बुलंद हों और हम इस बात का संकल्प करें कि सरकार और इस देश के लोग बड़ी संख्या में मृत्यु तथा बड़ा आर्थिक नुकसान वहन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह कार्य कठिन होने पर भी हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और हम इसे प्राप्त भी करेंगे।

5.3 हमने भेद्यता कम करने, इसकी रोकथाम तथा इसके शमन के उपायों और इस संबंध में तत्काल और व्यावसायिक प्रतिक्रिया की तत्परता के लिए कुछ किंतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक तकनीकी-कानूनी और तकनीकी वित्तीय ढांचे के माध्यम से विशाल जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण के साथ ही साथ पूरे तंत्र का संस्थानीकरण कर हम धीरे-धीरे सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

5.4 उल्लिखित विभिन्न रोकथाम, शमन के उपायों की रूपरेखा समुदायों, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी पदाधिकारियों की सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के उद्देश्य से की गई है। यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है कि देश की विशाल जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इन उपायों को संस्थागत किया जाए। यह सरकार द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख कार्य है जिसमें भेद्यता को कम के लिए शमन उपाय लागू किए जाते हैं। यह तो केवल आरंभ भर ही है। अंततोगत्वा हमारा लक्ष्य आपदा रोकथाम और शमन को कम करने को दिन-प्रतिदिन के जीवन का अंग बनाना है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इन उपायों को लागू करने से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उड़ीसा चक्रवात और भुज जैसे भूकंप आपदा की देश में पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। कम से कम मानव जीवन की क्षति, पशुधन, संपत्ति के नुकसान और आजीविका के साधनों की क्षति की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी।

5.5 हमारा विजन 2020 का उद्देश्य सतत सामूहिक प्रयास, राष्ट्रीय क्षमता और लोगों की भागीदारी के तालमेल के माध्यम से एक सुरक्षित और भारत का निर्माण करना है। आज जो स्वप्न लगता है अगले दो दशकों में वास्तविकता में तब्दील हो जाएगा। यह हमारा लक्ष्य है और हम जोशोखरोश के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आज आगे का मार्ग जो मुश्किल लग रहा है कदम से कदम मिला कर साथ चलने से बहुत आसान हो जाएगा।

गृह मंत्रालय

[एनडीएम प्रभाग]

1. भुज में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन तंत्र की समीक्षा की गई थी। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि आपदा प्रबंधन के लिए समग्र क्षमताओं का निर्माण किया जाए जिससे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की आपदाओं से निपटा जा सके। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि आपदा प्रबंधन को कृषि मंत्रालय से स्थानांतरित कर गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया जाए (सूखा और महामारियों और ऐसी आपातस्थितियों / आपदाओं को छोड़कर, जिनके कार्य विशेष रूप से अन्य मंत्रालयों को आवंटित किए गए हों)। तदनुसार फरवरी, 2002 में सरकार (कार्य आबंटन), नियम 1961 में संशोधन किया गया। कार्य का वास्तविक हस्तांतरण, जून 2002 में किया गया।
2. भारत प्राकृतिक खतरों और आपदाओं के लिए बहुत सुभेद्य है। भुज के भूकंप में 13805 मौतें हुईं उड़ीसा में सुपर साइक्लोन में 9885 लोगों की मृत्यु हुई। सरकार का मानना है कि यदि उचित शमन उपाय अपनाए जाएं तो हताहतों की संख्या को काफी कम किया जा सकता है।
3. हर साल आपदाओं से सामाजिक और सामुदायिक संपत्ति में हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होता है। यह बात बिल्कुल साफ है कि आयोजन प्रक्रिया में आपदा शमन को जोड़े बिना स्थायी विकास नहीं हो सकता। उपर्युक्त घटकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है जिसमें उसने आपदा शमन, रोकथाम और आपदा से निपटने में तत्परता पर जोर दिया है। सरकार के अनुमोदन से, आगामी पृष्ठों में देश में आपदा की भेद्यता को कम करने के लिए एक सामरिक रोडमैप दिया गया है। आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए इस रोडमैप के अनुसार कार्रवाई की जाए। इस रोडमैप की हर दो साल में यह देखने के लिए समीक्षा की जाएगी कि क्या किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क

I. संस्थागत तंत्र

संभावित आउटपुट	सरोकार का क्षेत्र	शामिल की जाने वाली एजेंसियां/ क्षेत्र और संसाधन संपर्क।
उचित सिस्टम के साथ राष्ट्रीय स्तर के आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी	(i) उचित कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन। (ii) एन.ई.एम.ए. की भूमिका और की जिम्मेदारियां - - बहु-आपदा न्यूनीकरण, रोकथाम, तत्परता और प्रतिक्रिया कार्यक्रमों का समन्वय। - आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा शमन नीतियां - सभी स्तरों पर आपदा के लिए तत्परता। - बाढ़ की कार्रवाई के लिए समन्वय - आपदा उपरांत राहत और पुनर्वास का समन्वय - मौजूदा विधियों, प्रक्रियाओं, अनुदेशों में संशोधन।	स्वास्थ्य, जल संसाधन, पर्यावरण और वन, कृषि, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, रसायन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग आदि से संबंधित मंत्रालय / विभाग।
आपदा प्रबंध के लिए राज्य विभागों का सृजन	राहत और पुनर्वास विभागों को आपदा विभाग के रूप में आपदा शमन, रोकथाम और तत्परता को शामिल करते हुए दायित्वों के विस्तारित क्षेत्र के साथ आपदा प्रबंधन विभाग के रूप में पुनः नामित किया जाए	राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना	(i) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। (ii) प्राधिकरण को नीतियां तैयार करनी होंगी और आपदा शमन, रोकथाम और तत्परता का कार्य देखना होगा।	कृषि, गृह, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, स्वास्थ्य, सड़क और परिवहन, नागरिक आपूर्ति, पर्यावरण और वन, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के मंत्री सदस्यों के रूप में।
II आपदा शमन / रोकथाम		
आपदा शमन / रोकथाम को विकास की प्रक्रिया के लिए मुख्यधारा में लाना।	(i) प्रत्येक मंत्रालय / विभाग जिसको आपदा शमन / रोकथाम में भूमिका निभानी है, को आपदा शमन / रोकथाम के लिए समुचित स्ककीम तैयार करनी होंगी। (ii) जहाँ कहीं आपदा शमन के लिए परियोजनाएं/योजनाएं हों, वहाँ इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (iii) जहाँ भी संभव हो, प्राकृतिक खतरा प्रवण क्षेत्रों में योजनाओं / परियोजनाओं को इस रूप में तैयार किया जाए कि ये आपदा शमन और आपदा से	भारत सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मंत्रालय / विभाग

	<p>निपटने में तत्परता के लिए योगदान करें।</p> <p>(iv) आपदा सुभेद्य क्षेत्रों / प्राकृतिक खतरा प्रवण क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं इस प्रकार डिजाइन की जाएं कि वे प्राकृतिक खतरों का डट कर सामना कर सकें।</p>	
टेकनो-कानूनी व्यवस्था	<p>(i) बिल्डिंग कोड और इसके प्रचार-प्रसार की नियमित समीक्षा की जाए।</p> <p>(ii) तृतीय, चतुर्थ और पंचम श्रेणी के भूकंपीय ज़ोन में बीआईएस कोड / नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्माण होना चाहिए।</p> <p>(iii) चक्रवात संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बीआईएस कोड / राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्माण इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि वह तेज हवा के खतरों का सामना कर सके।</p> <p>(iv) निम्नलिखित की बृहत् समीक्षा और अनुपालन किया जाए</p> <ul style="list-style-type: none"> - शहर और राष्ट्र योजना अधिनियम - विकास नियंत्रण विनियम - आयोजना और बिल्डिंग मानक विनियम <p>(v) उचित तकनीकी वित्तीय व्यवस्था का प्रतिस्थापन</p> <p>(vi) टेकनो कानूनी व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि करना</p>	<p>भारतीय मानक ब्यूरो के / शहरी विकास मंत्रालय</p> <p>राज्य शहरी विकास विभाग / शहरी स्थानीय निकाय</p> <p>राज्य शहरी विकास विभाग / शहरी स्थानीय निकाय</p> <p>राज्य शहरी विकास विभाग / शहरी स्थानीय निकाय</p> <p>राज्य शहरी विकास विभाग / शहरी स्थानीय निकाय</p> <p>राज्य शहरी विकास विभाग / शहरी स्थानीय निकाय</p> <p>राज्य सरकारें</p>
भूमि - उपयोग आयोजना और जोनिंग विनियम	<p>I) भूमि - उपयोग आयोजना और जोनिंग विनियमों के लिए विधिक फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाए।</p> <p>II) जोनिंग विनियमों को लागू किया जाए।</p>	<p>शहरी विकास मंत्रालय भू संसाधन विभाग [ग्रामीण विकास मंत्रालय]</p> <p>पर्यावरण और वन मंत्रालय [भारत सरकार]</p> <p>राज्य सरकारें</p>
सुभेद्यता कम करने और आपदा से निपटने की तत्परता के लिए योजना स्कीमें।	राज्य सरकारों को योजना स्कीमें तैयार करनी होंगी और योजना आयोग को प्रस्तुत करनी होंगी	राज्य सरकारें
III. विधिक/ नीति फ्रेमवर्क		
आपदा प्रबंधन को संविधान की सातवीं	<p>(i) विधेयक का मसौदा तैयार किया जाए।</p> <p>(ii) संसद के पटल पर विधेयक प्रस्तुत किया जाए</p>	गृह मंत्रालय / विधि मंत्रालय (विधायी विभाग)

अनुसूचीकी तृतीय सूची [समवर्ती सूची] में सूचीबद्ध किया जाए		
राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम	राज्यों को माडल अधिनियम परिचालित किया जाए	गृह मंत्रालय राज्य सरकारें
आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति	I) आयोजना और विकास प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाना II) सुरक्षित निर्माण मेंडेट III) नीति के अनुसार सभी संगत विभागों द्वारा समन्वित कार्रवाई	गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और अन्य संगत मंत्रालयों से परामर्श लिया जाए।
राज्यों द्वारा आपदा प्रबंधन पर नीति प्रस्तुत करना।	I) आयोजना और विकास प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाना II) सुरक्षित निर्माण मेंडेट III) नीति के अनुसार सभी संगत विभागों द्वारा समन्वित कार्रवाई	राज्य सरकारें
राज्य आपदा प्रबंधन संहिताएं (कोड)	मौजूदा राहत कोड / स्केरसिटी कोड / अकाल कोड में आपदा शमन, आपदा तत्परता और आपदा आयोजना उपायों को शामिल करते हुए समुदाय से राज्य स्तर तक संशोधन करना आपातकालीन सहायता टीम / आपदा प्रबंधन टीमों / समितियों / राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संस्थापना, आपदा घटना प्रबंधकों आदिको प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन, संसाधनों और योजनाओं की सूची को अद्यतन करने के लिए प्रोटोकॉल।	राज्य सरकारें
IV. आपदा तत्परता और प्रतिक्रिया		
राष्ट्रीय आपात प्रतिक्रिया दल /विशेषज्ञ प्रतिक्रिया दल	I) विशेषज्ञ प्रतिक्रिया दल में परिवर्तित करने के लिए इकाइयों को नामोदिष्ट करना II) प्रशिक्षण केंद्रों को नामोदिष्ट करना III) प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण IV) उपकरण प्राप्त करना V) दलों का प्रशिक्षण	गृह मंत्रालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/भारत तिब्बत सीमा पुलिस / सीमा सुरक्षा बल/केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल
राज्य स्तर पर विशेषज्ञ प्रतिक्रिया दल	I) विशेषज्ञ प्रतिक्रिया दल में परिवर्तित करने के लिए इकाइयों को नामोदिष्ट करना II) प्रशिक्षण केंद्रों को नामोदिष्ट करना III) प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण IV) सीआरएफ के संसाधनों का उपयोग कर उपकरण प्राप्त करना V) दलों का प्रशिक्षण	राज्य आपदा प्रबंधन विभाग/ राज्य गृह विभाग राज्य पुलिस प्रशिक्षण / राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान
आपातकालीन प्रचालन केंद्र का राष्ट्रीय नेटवर्क (एन एन ई ओ सी)		

राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन प्रचालन केंद्र (ईओसी) की स्थापना	<p>I) बहु-खतरा प्रतिरोधक निर्माण</p> <p>II) संप्रेषण सिस्टम लिंकेज</p> <p>III) ऑनसाइट आपदा सूचना प्रबंधन के लिए चल-आपातकालीन प्रचालन केंद्र</p>	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग केंद्रीय लोक निर्माण के लिए विभाग गृह मंत्रालय
राज्य स्तरीय आपातकालीन प्रचालन केंद्र	<p>I) बहु-खतरा-प्रतिरोधक निर्माण</p> <p>II) संप्रेषण सिस्टम लिंकेज</p> <p>III) ऑनसाइट आपदा सूचना प्रबंधन के लिए चल-आपातकालीन प्रचालन केंद्र</p>	राज्य सरकारें
जिला स्तरीय आपातकालीन प्रचालन केंद्र	<p>I) बहु-खतरा प्रतिरोधक निर्माण</p> <p>II) संप्रेषण सिस्टम लिंकेज</p>	राज्य सरकारें
घटना कमांड सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना	<p>I) नोडल प्रशिक्षण केंद्र को नामोदिष्ट करना</p> <p>II) घटना कमांड सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोटोकाल/ एसओपी को व्यवस्थित करना।</p>	गृह मंत्रालय/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी/राज्य सरकारें / प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
आपात समर्थन कार्य योजना	<p>I) ऐसे विभाग/एजेंसियां, जो ईएसएफ योजना तैयार करने, टीमें बनाने और अग्रिम रूप से ऐसे संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए आपातकालीन समर्थन कार्य करते हों, जिनसे कि आपदा के उपरांत तत्काल कार्रवाई की जा सके।</p>	केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग राज्य सरकारें
भारत आपदा संसाधन नेटवर्क	<p>(i) एक वेब सक्षम जीआईएस आधारित ऐसी संसाधन सूची तैयार करना, जिसमें जिला और राज्य स्तर तथा देश भर में आपातकालीन कार्रवाई के समय आवश्यक सभी संसाधन दिए गए हों, ताकि कम समय में संसाधनों को जुटाया जा सके।</p> <p>(ii) सर्वर स्थापित करना, कार्यक्रम तैयार करना और इन्स्टाल करना और डेटा भरना।</p> <p>(iii) हर छमाही में अद्यतन करना।</p>	गृह मंत्रालय राज्य सरकारें
संप्रेषण लिंकेज, जो यहां तक कि आपदोत्तर भी कार्यात्मक रहता है	<p>I) संप्रेषण योजना तैयार करना</p> <p>II) स्वीकृति प्राप्त करना</p> <p>III) संप्रेषण नेटवर्क को व्यवस्थित करना।</p>	गृह मंत्रालय पुलिस बेतार समन्वय महानिदेशालय राज्य सरकारें
क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र	<p>(i) क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्रों के स्थान की पहचान करें।</p> <p>(ii) अपेक्षित उपकरणों के भंडारों (कैशों) की पहचान करें</p> <p>(iii) स्वीकृति प्राप्त करें।</p> <p>(iv) टीमों और उपकरणों के भंडारों (कैशों) को व्यवस्थित करें।</p>	गृह मंत्रालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस/सीमा सुरक्षा बल/ केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल / केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
आपदा प्रतिक्रिया में	<p>I) कैप्सूल तैयार करें</p>	गृह मंत्रालय

<p>प्रशिक्षण को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सीपीएमएफ) और राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का एक भाग बनाया जाए।</p>	<p>11) प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें</p>	<p>राज्य सरकारें</p>
<p>राज्य आपदा प्रबंधन योजना</p>	<p>(i) मुख्य सचिव की देखरेख में इस योजना का मसौदा तैयार किया जाए। (ii) इस योजना में आपदा शमन, तत्परता और प्रतिक्रिया तत्वों को शामिल किया जाएगा। (iii) यह योजना बहु-विषयक होगी। इसे आपदा शमन, तत्परता और प्रतिक्रियाको शामिल करते हुए सभी संबंधित विभागों के साथ संयोजन / परामर्श से तैयार किया जाए। (iv) योजना को एक वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाए।</p>	<p>राज्य सरकारें/ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण</p>
<p>जिला आपदा प्रबंधन योजना</p>	<p>i) जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर की देखरेख में योजना तैयार की जाए। (ii) विभिन्न विभागों के द्वारा आपात समर्थन कार्यों को शामिल किया जाए। (iii) योजना सभी संबंधित विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाए। (iv) संसाधनों की जिला संबंधी माल सूची तैयार की जाए।</p>	<p>राज्य सरकारें/ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण</p>
<p>ब्लाक आपदा प्रबंधन योजना</p>	<p>i) न्यूनीकरण, तत्परता और प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर की देखरेख में योजना तैयार की जाए। (ii) विभिन्न विभागों के द्वारा आपात समर्थन कार्यों को शामिल किया जाए। (iii) योजना सभी संबंधित विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाए। (iv) संसाधनों की जिला संबंधी माल सूची तैयार की जाए।</p>	<p>राज्य सरकारें/ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ ब्लाक विकास प्रशासन</p>
<p>समुदाय आधारित आपदा शमन, तत्परता और प्रतिक्रिया कार्यक्रम</p>	<p>i) आपदाओं के संबंध में प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए बहु-आपदा जोखिम प्रवण राज्यों और जिलों में समुदाय क्षमता बढ़ाना - सुभेद्य समुदायों और महिलाओं समेत अन्य समूहों को सशक्त बनाने और इनकी क्षमता निर्माण के लिए विशेषध्यान देना। 11) गांव / पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) औरवाड / नगर निगमपरिषद / निगमों (शहरी क्षेत्रों के लिए) आपदाप्रबंधन समितियां और आपदा प्रबंधनटीमों की</p>	<p>राज्य सरकारें/जिला प्रशासन/पंचायती राज संस्थान/ शहरी स्थानीय निकाय</p>

	<p>स्थापना करना और इन्हें प्रशिक्षित करना यथा-</p> <ul style="list-style-type: none"> - सुरक्षित आश्रयों और प्रबंधन की पहचान करना - राहत सामग्री आदिका स्टॉक जमा करना - पूर्व चेतावनी प्रसारित करना - प्राथमिक उपचार और परामर्श - अनुसंधान और बचाव कार्यों में सहायता करना <p>(iii) इस तरह की योजनाओं को स्थानीय निकायों की वार्षिक विकास योजनाओं का अभिन्न अंग बनाया जाए।</p> <p>(iv) समुदाय और पंचायतों की आपदा शमन योजनाओं को पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत प्राथमिकता देना।</p>	
VI शीघ्र चेतावनी सिस्टम		
<p>(i) उत्कृष्ट सेंसर स्थापित करना</p> <p>(ii) खतरा निगरानी, ट्रैकिंग और मॉडलिंग</p>	<p>(i) आईएमडी / सीडब्ल्यूसी के द्वारा उपलब्ध सेंसरों की समीक्षा करना और सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए योजना तैयार करना।</p> <p>(ii) अनुमानों की सटीकता में सुधार करने के लिए मॉडल को अद्यतन करना।</p>	<p>भारतीय मौसम विज्ञान विभाग / केन्द्रीय जल आयोग / राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम संबंधी पूर्वानुमान केंद्र</p>
चेतावनी प्रोटोकाल	<p>I) चेतावनी प्रोटोकाल उपयोगकर्ता अनुकूल होना चाहिए</p> <p>II) राज्यों / जिलों / समुदायों को यथासंभव शीघ्रता से चेतावनी की सूचना दी जाए।</p> <p>(iii) प्रोटोकॉल समझने में आसान होना चाहिए। (iv) समुदाय को चेतावनी की शीघ्र सूचना देने के लिए जिलों में प्रोटोकॉल संस्थापित किया जाए।</p> <p>(v) पंचायत / स्थानीय निकायों का शीघ्र चेतावनी सूचना देने के लिए इस्तेमाल किया जाए।</p> <p>(vi) शीघ्र चेतावनी के लिए संप्रेषण लिंकेज।</p>	<p>गृह मंत्रालय / राज्य सरकारें / भारतीय मौसम विज्ञान विभाग / केन्द्रीय जल आयोग / राष्ट्रीय दूर-संवेदी एजेंसी/ सूचना एवं प्रसारण / दूरदर्शन / आकाशवाणी।</p>
VII) मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण		
<p>आपदा शमन, तत्परता या प्रतिक्रिया के कार्यों में संलग्न सेवा /केडर/एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण</p>	<p>I) प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण / मानव संसाधन विकास योजना</p> <p>II) प्रशिक्षण के लिए कैप्सूल पाठ्यक्रम तैयार करना</p> <p>III) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण</p> <p>iv) आपदा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय संस्थान</p> <p>v) आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक प्रशिक्षण</p>	<p>गृह मंत्रालय राज्य सरकारें</p>

	संस्थान की स्थापना करना / राज्य संकाय के प्रशिक्षण संस्थानों को प्रबलित करना।	
आईएएस / आईपीएस, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों / राज्य पुलिस को प्रशिक्षण।	i) आईएएस / आईपीएस, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों / राज्य पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन के शामिल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ii) ब्लाक/गांव स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण iii) पीआरआई का प्रशिक्षण	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों / ग्रामीण विकास राज्य संस्थानों और शिक्षण और प्रशिक्षण जिला संस्थानों का उपयोग किया जाए।
इंजीनियर/आर्चीटेक्ट	सामान्य तौर पर आपदा शमन प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से भूकंप इंजीनियरिंग को स्नातक स्तर तक के इंजीनियरिंग और बी. आर्कीटेक्ट पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए।	राज्य सरकारें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान व्यावसायिक निकाय
स्वास्थ्य व्यवसायी	संकट रोकथाम, प्रतिक्रिया और रिकवरी और आघात प्रबंधन को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करना।	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया
युवा संगठन	एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड को आपदा प्रतिक्रिया, अनुसंधान और बचाव को उनके अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करना।	युवा और खेल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय
मिस्त्री	सुरक्षित निर्माण के लिए मिस्त्रियों को प्रशिक्षण	ग्रामीण विकास मंत्रालय / शहरी विकास विभाग / राज्य सरकारें
विद्यालयों का पाठ्यक्रम	आपदा जागरूकता को शामिल करना	केंद्रीय और राज्य शिक्षा बोर्ड
जागरूकता के प्रसार के लिए राष्ट्रीय जनसंचार अभियान	जागरूकता अभियान के लिए संचार रणनीति डिजाइन और विकसित करना जागरूकता अभियान के कार्यान्वयन के लिए श्रव्य, दृश्य और मुद्रण माध्यमों का उपयोग करना आपदा शमन, आपदा तत्परता और आपदा के लिए प्रतिक्रिया पर संसाधन सामग्री विकसित करना।	गृह मंत्रालय राज्य सरकारें गृह मंत्रालय राज्य सरकारें गृह मंत्रालय
आपदा तत्परता और आपदा शमन आयोजना के लिए जागरूकता उत्पन्न करने और समुदाय की भागीदारी के कार्य में संलग्न गैर-सरकारी समुदाय आधारित संगठन।	(i) राष्ट्रीय / राज्य / जिला स्तर पर गैर-सरकारी समुदाय आधारित संगठनों को नेटवर्क की सुविधा प्रदान करना (ii) सभी स्तरों पर आयोजना प्रक्रिया और प्रतिक्रिया तंत्र का सह-विकल्प।	गृह मंत्रालय / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान गृह मंत्रालय / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
जागरूकता उत्पन्न करने और आपदा तत्परता	आयोजना प्रक्रिया और प्रतिक्रिया तंत्र में कॉरपोरेट सेक्टर तथा इनकी नोडल एजेंसियों का संवेदीकरण,	गृह मंत्रालय / फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज

तथा आपदा शमन की आयोजना के कार्य में संलग्न कॉरपोरेट सेक्टर	प्रशिक्षण और इन्हें साथ-साथ चुनना	
आपात स्थिति और सीखने के दौरान संसाधनों को आपस में बांटने के लिए अंतरराज्यीय व्यवस्था	(i) राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं में अंतरराज्यीय संसाधनों को आपस में बांटने की व्यवस्था को शामिल किया जाए। (ii) अन्य राज्यों के अनुभवों से सीखने के लिए अंतर-राज्यीय एक्सचेंज दौरों को करवाया जाए	गृह मंत्रालय राज्य सरकारें गृह मंत्रालय राज्य सरकारें
VIII अनुसंधान और ज्ञान परिषद		
राष्ट्रीय रोडमैप पर काम करने की प्रक्रिया के दौरान ज्ञान और अध्ययन (सीखने) का संस्थानीकरण	(i) चल रहे कार्यक्रमों और गतिविधियों का मूल्यांकन और आकलन की महत्वपूर्ण अध्ययनों का नियमित प्रलेखन ii) सभी संबंधित संस्थानों और संगठनों के मध्य आपस में बांटने और सूचनाओं के आदानप्रदान करने के लिए ज्ञान पोर्टल के रूप में भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क स्थापित करना।	गृह मंत्रालय राज्य सरकारें/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा डाटाबेस विकसित करना	i) आपदाओं को व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध करना ii) ट्रेंड विश्लेषण और रिपोर्टिंग	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
आपदा के जोखिम को कम करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना	(i) आवास, सड़कों और पुलों, जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम, बिजली उपयोगिताओं के लिए आपदा शमन प्रौद्योगिकी (ii) निम्नलिखित के लिए विशेष त्वरित प्रतिक्रिया और तत्परता हेतु सस्ते उपकरण - आपदा के उपरांत अस्थायी और संक्रमण कालिक शेल्टर - अनुसंधान और बचाव उपकरण - आपदा के उपरांत पीने के पानी, आपात स्वास्थ्य देखरेख और साफ-सफाई की व्यवस्था - ट्रामा उपरांत दबाव प्रबंधन और देखरेख iii) आपदा के जोखिम को कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान तलाशने में निगमित क्षेत्रों की भागीदारी प्रोत्साहित करना।	केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग

आपदा प्रबंधन

विकास परिप्रेक्ष्य

1. पंचवर्षीय योजना प्रलेख में मूल रूप से प्रबंधन एवं प्राकृतिक आपदाओं को कम करने से संबंधित मुद्दों पर राय शामिल नहीं है। पारम्परिक बोध “आपदा राहत” की राय तक सीमित है, जिसे अनिवार्यतः एक गैर-योजना व्यय मद के रूप में देखा जाता है। तथापि, बड़े आपदाओं के प्रभाव को सिर्फ तत्काल राहत के प्रावधान से कम नहीं किया जा सकता, जो आपदा राहत प्रयासों का मुख्य केंद्र है। आपदाओं का अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है, उनसे भारी मानव एवं आर्थिक क्षति हो सकती है और क्षेत्र अथवा राज्य के विकास प्रयासों को विशेष तौर पर पीछे धकेल सकते हैं। हाल की दो आपदाएं, उड़ीसा चक्रवात और गुजरात भूकंप प्रासंगिक मामले हैं। आर्थिक किस्म की क्षतियों और विकासात्मक हानियों से देश वर्ष-दर-वर्ष आहत हो रहा है, विकास प्रक्रिया को आपदा निवारण और न्यूनीकरण पहलू के संबंध में संवेदी बनाए जाने की जरूरत है। अतः इसके साथ ही आपदाओं को विकास परिप्रेक्ष्य से देखने की जरूरत है।
2. इसके अलावा, यद्यपि आपदा प्रबंधन सामान्य तौर पर योजना वित्त व्यवस्था से संबद्ध नहीं होता है, इसमें वास्तव में प्रचालन में, जैसे कि सूखा निरीक्षण, वनरोपण, पेय जल आदि के लिए कई योजनाएं तैयार हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को रोकने और कम करने से संबंधित हैं, आपदा बाद पुनर्निर्माण हेतु तथा प्रबंधन ढांचे को सरल एवं कारगर बनाने के लिए बाहरी सहायता भी योजना का एक भाग है। आपदा प्रबंधन पर केंद्रीय रूप से प्रायोजित एक विशिष्ट योजना भी मौजूद है। इस प्रकार, विषय के संबंध में प्लान की एक निर्धारित भूमिका है।
3. हाल ही में, विशेषज्ञ निकाय ने योजना आयोग की भूमिका और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में योजना निधियों के प्रयोग पर विस्तृत चर्चा की है। आपदा प्रबंधन पर ग्यारहवें वित्त आयोग और उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा भी इस संबंध में सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित विकास संबंधी योजना पर एक दृष्टिकोण निर्धारित किए जाने की जरूरत है।
4. यह अध्याय ऊपर संक्षिप्त विचारों को निरूपित करता है। यह वैश्विक संदर्भ को और भारतीय आपदा अनुभव को संक्षेप में विरूपित करता है, आपदा प्रबंधन संबंधी संस्थानिक एवं वित्तीय व्यवस्थाओं का निर्धारण और देश में इनके संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, सुधार हेतु निर्देशनों पर नजर डालता है और दसवी योजना अवधि में सुरक्षित राष्ट्रीय विकास हेतु योजना को सुकर बनाने के लिए कार्यनीति तैयार करता है।

वैश्विक संदर्भ

5. विगत वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, और इससे शहरीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि के संबंध में क्षति बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप, प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव अब अत्यधिक मात्रा में महसूस किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, केवल 2001 में, मध्य से उच्च सीमा के प्राकृतिक आपदाओं से पूरे विश्व में कम से कम 25,000 मौतें हुई हैं, दोगुनी से अधिक पूर्ववर्ती वर्ष में हुई हैं और लगभग 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। ये आंकड़े और अधिक होते, यदि कई छोटे और अनभिज्ञात आपदाओं के परिणामों को, जिनसे स्थानीय समुदाय स्तर पर महत्वपूर्ण हानि हुई है, ध्यान में रखा गया होता, शक्तिशाली भूकंप, जिसे गुजरात, ई-आई सल्वादोर एवं पेरू आक्रान्त हुआ, में विनाश; बाढ़, जिसने अफ्रीका, एशिया में और अन्यत्र कई देशों को उजाड़ दिया; सूखा, जिसमें अफगानिस्तान, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका सहित सेंट्रल एशिया को आफत में डाल दिया; मैडागास्कर और उड़ीसा में चक्रवात और बोलिविया में बाढ़ हाल के दिनों में वैश्विक घटनाएं हैं। तथापि, जो बाधाकारी है, वह जानकारी है, जो विकृति एवं विनाश की इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखने की बजाय बढ़ाती है।

6. प्राकृतिक आपदाएं राजनैतिक सीमाओं से बंधी नहीं होती हैं और न ही इनका सामाजिक अथवा आर्थिक सरोकार है। वे सीमाहीन होते हैं, क्योंकि वे विकासशील और विकसित, दोनों देशों का प्रभावित करते हैं। वे निष्पक्ष भी होते हैं और इस तरह प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव पर असुरक्षित प्रवृत्ति अधिक होती है। उदाहरणार्थ, विकासशील देश आजीविका के संबंध में काफी गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं, जनता द्वारा परेशानी झेली जाती है और उनके जीएनपी प्रतिशत का नुकसान होता है। 1991 से प्राकृतिक आपदाओं के दो-तिहाई पीड़ित विकासशील देशों से थे, जबकि केवल 2 प्रतिशत अत्यधिक विकसित राष्ट्रों से थे। वे लोग जो विकासशील देशों में रह रहे हैं और विशेष रूप से वे लोग, जिनके पास सीमित संसाधन हैं, अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और सुभेद्यता में स्वाभावतः डरावनी वृद्धि से विश्व समुदाय इससे लड़ने के अपने प्रयासों को सुदृढ़ बना रहा है।
7. जैसा कि अति सुभेद्य क्षेत्र भारत में हैं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन देश के लिए एक अति प्राथमिकता के रूप में उभरा है। घटना के बाद राहत एवं पुनर्वास पर पीछे के मूल फोकस को देखते हुए, अब हमें आगे देखना होगा और इस क्रम में आपदा तैयारी एवं इसे कम करने की योजना बनानी होगी कि अपने विकास प्रयासों के बार-बार के आघातों को कम किया जा सके।

भारतीय अनुभव

क्षेत्रीय सुभेद्यताएं

8. वास्तविक सुभेद्यता, लोगों के वास्तविक स्थान, जोखिम जोन से उनकी निकटता और प्रभावों से सामना के लिए अनुरक्षित सेफटी मानकों से संबंधित है। उदाहरणार्थ, कुछ लोग केवल बाढ़ के लिए सुभेद्य होते हैं, क्योंकि वे बाढ़ संभावित क्षेत्र में रहते हैं। वास्तविक सुभेद्यता, संकटकालीन समय में उस पर लगने वाले बटन को रोकने के लिए भवनों एवं संरचनाओं की तकनीकी क्षमता से भी संबंधित है।

बॉक्स 7.1

भारत की मुख्य सुभेद्यताएं

तटीय राज्य, विशेष रूप से पूर्वी तट और गुजरात चक्रवात के लिए सुभेद्य क्षेत्र हैं। 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षेत्र बाढ़ के लिए सुभेद्य है। 68 प्रतिशत निवल प्रदर्शित क्षेत्र सूखे के लिए सुभेद्य है। 55 प्रतिशत कुल क्षेत्र भूकंप जोन III-IV में हैं और भूकंप के लिए सुभेद्य है। उप-हिमालयन/पश्चिमी घाट भू-स्खलन के लिए सुभेद्य है।

9. सीमा, जिसमें जनसंख्या संकट से प्रभावित हो, विशुद्ध रूप से वास्तविक सुभेद्यता संघटक में नहीं आता है, परंतु प्रचलित सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के लिए भी प्रासंगिक है और इसका आदी समाज में मानव कार्यकलापों पर परिणामी प्रभाव होता है। भूकंप द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में अनुसंधान दर्शाता है कि एकल माता-पिता परिवार, महिलाएं, विकलांग लोग, बच्चे और बूढ़े व्यक्ति विशेष रूप से अरक्षित सामाजिक वर्ग है। अनियोजित एवं अपर्याप्त विकास कार्यकलाप में भू-भौतिकीय व्यवस्थापन आपदाओं के समय अधिक नुकसान पहुंचाता है। भारत के मामले में, अधिक जनसंख्या का उच्च जनसंख्या घनत्व में सहयोग, जो बाद में क्षतियों को बढ़ाता है, नोट किए जाने योग्य है। यह कारक कभी-कभार सिर्फ भू-भौतिकी एवं अवसंरचना के कारण महत्वपूर्ण वास्तविक सुभेद्यता होना प्रतीत होता है।
10. एशिया महाद्वीप आपदा मार के लिए विशेष रूप से सुभेद्य है। वर्ष 1991 से 2000 के बीच आपदाओं से वैश्विक रूप से 83 प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित हुई है, जबकि प्रभावित लोगों की संख्या एशिया में 1,11,159 सहित शेष विश्व में 5,54,439 थी। एशिया के भीतर 24 प्रतिशत मौतें भारत में घटित आपदाओं के कारण, इसके स्वरूप के कारण, जनसंख्या एवं सुभेद्यता के कारण थी। भारत में बाढ़ एवं तेज हवाओं से सभी आपदाओं की 60 प्रतिशत क्षति होती है। जबकि मानव विकास के अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई है, इसमें आपदा प्रभावों को और कम करने की जरूरत है।

11. भारतीय उप-महाद्वीप के कई भाग अद्वितीय स्थलाकृति एवं जलवायु विशिष्टताओं के कारण विभिन्न प्रकार के आपदाओं के लिए संवेदनशील हैं। उप महाद्वीप के लगभग 54 प्रतिशत भूमिक्षेत्र पर भूकंप का खतरा है, जबकि लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर आवधिक बाढ़ का खतरा है। 1990-2000 का दशक देश के भीतर अत्यधिक आपदा क्षति के रूप में रहा है, जिसमें 1999 में उड़ीसा चक्रवात से क्षति हुई है और बाद में 2001 में गुजरात भूकंप से कई हजार करोड़ रूपए की क्षति हुई, जबकि सिर्फ गुजरात में राहत एवं पुनर्निर्माण पर कुल व्यय 11,500 करोड़ रूपए हुआ।
12. इसी तरह से, देश, पिछले पचास वर्षों की अवधि में मध्यम तीव्रता के भूकंपों की श्रृंखला के साथ चार बड़े भूकंपों से आहत हुआ है, जो नियमित अन्तराल पर घटित हुए हैं। 1988 से, छह भूकंपों ने देश के अलग-अलग भागों को नुकसान पहुंचाया है। इनसे पर्याप्त मानव एवं संपत्ति का नुकसान हुआ है।

सारणी 7.1

भारत में बड़े भूकंप, 1988-2001

तारीख	स्थान	तीव्रता
21 अगस्त, 1988	बिहार-नेपाल सीमा	6.4
20 अक्टूबर, 1991	उत्तरकाशी, उत्तर प्रदेश	6.6
30 सितंबर, 1993	लातूर-उस्मानाबाद महाराष्ट्र	6.3
22 मई, 1997	जबलपुर, मध्य प्रदेश	6.0
29 मार्च, 1999	चमोली, उत्तर प्रदेश	6.9
26 जनवरी, 2001	भुज, गुजरात	7.7

13. आपदाएं, विशाल आर्थिक क्षतियां पहुंचाती हैं, जो स्वरूप में तत्काल के साथ-साथ दीर्घकालिक होती हैं और अतिरिक्त राजस्व की मांग करती हैं। तत्काल प्रभाव के रूप में भी आपदाएं, प्रभावित क्षेत्र से न्यून स्तर के आर्थिक कार्यकलाप के कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की क्षति को बढ़ाते हुए राजस्व को कम करती हैं। इसके अतिरिक्त, आपदा से उभरने के लिए अनियोजित बजटीय आबंटन विकास कार्यकलापों को रोक सकता है और अनुचित विकास लक्ष्यों को प्रेरित करता है।
14. आपदा, क्षेत्र के विकास को और संकुचित करते हुए नये निवेश की उपलब्धता को भी कम कर सकती है। इसके अलावा, राहत और पुनर्वास कार्य में निवेश के जरिए सरकार की वित्त व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाला जा सकता है।
15. गुजरात में हाल के भूकंप में 14,000 से अधिक जीवन नष्ट हुए थे, दस लाख घर क्षतिग्रस्त हुए थे और 15,000 करोड़ मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सारणी 7.2 से 7.5 में हाल की प्राकृतिक आपदाओं में देश द्वारा उठाई गई क्षति एवं नुकसान के आयाम का संकेतन दर्शाता है।

बाक्स 7.2

प्राकृतिक आपदाओं के जरिए वैश्विक क्षति

पुनर्बीमा कंपनी "म्यूनिक् रि" के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से संबद्ध लागतों में 1950 के दशक से 14 गुना वृद्धि हुई है। 1991 से 2000 तक प्रत्येक वर्ष औसतन 211 मिलियन लोग प्राकृतिक आपदाओं से मारे गए थे अथवा प्रभावित हुए थे - जो उस आंकड़े से सात गुना अधिक थे, जो संघर्ष में मारे गए थे अथवा प्रभावित हुए थे। 1990 की दशक की समाप्ति पर विश्व में 25मिलियन "पर्यावरणिक शरणार्थी" थे, जो पहली बार अधिक लोग संघर्ष की बजाय प्राकृतिक संकट से प्रभावित हुए थे।

स्रोत: विश्व आपदा रिपोर्ट, 2001

16. नुकसान का आयाम, जैसा कि सारणियों से और आरेख 7.1 से स्पष्ट है, इस बात पर जोर देता है कि प्राकृतिक आपदाएं विकास को भारी धक्का पहुंचाती हैं और दरिद्रतम एवं दुर्बलतम जनता ही आपदाओं के लिए अति सुभेद्य होती हैं। उच्च आवृत्ति को देखते हुए, जिसे देश का एक अथवा अन्य भाग आपदाओं

3.									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रभाग, कृषि मंत्रालय।

सारणी 7.4

अक्टूबर, 2000 में उड़ीसा में चक्रवात के कारण नुकसान

घटना की तारीख	जिलों की कुल सं.	प्रभावित जिले	प्रभावित गांव (सं.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हे.)	क्षतिग्रस्त मकान (सं.)	मानव जीवन क्षति (सं.)	पशु क्षति सं.
			आंकड़े	मूल	अंग्रेजी	से	लें	

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रमण, कृषि मंत्रालय।

सारणी 7.5

सूखे के कारण क्षति: 1999-2001

क्रम सं.	वर्ष	प्रभावित जिले	प्रभावित गांव (सं.)	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	फसल क्षेत्र को नुकसान (लाख हे. में)	क्षतिग्रस्त फसल का अनुमानिक मूल्य (करोड़ रु. में)	प्रभावित पशु संख्या (लाख में)

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रभाग, कृषि मंत्रालय।

<p>आकृति 7.1 संचयी वार्षिकीकृत बाढ़ क्षति (करोड़ रु. में)</p> <p>स्रोत: केंद्रीय जल आयोग</p>
--

18. देश की राष्ट्रीय, राज्य, जिला एव उप जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन के लिए एकीकृत प्रशासनिक मशीनरी है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बचाव, राहत एवं पुनर्वास उपाय शुरू करने की मूल जिम्मेदारी, जैसा कि वर्तमान में है, संबंधित राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार वित्तीय एवं संभार-तंत्र सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है।

केंद्रीय स्तर

19. केंद्र सरकार के स्तर पर प्रतिक्रिया आयामों को मौजूदा वित्त व्यवस्था राहत व्यय नीति के अनुसार एवं निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है:
- प्राकृतिक आपदा की गंभीरता;
 - आवश्यक राहत कार्य की मात्रा; और
 - राज्य सरकार के स्तर पर वित्तीय संसाधनों एवं संभार तंत्र सहायता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहायता की अपेक्षाएं।
20. आकस्मिकता कार्य योजना (सीएपी) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं लोक विभागों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप किए जाने हेतु अपेक्षित पहल की पहचान करता है। यह प्रक्रियाएं निर्धारित करता है और बिना किसी देरी के राहत एवं बचाव कार्यों को सुकर बनाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी में केंद्र बिन्दुओं को तय करता है।
21. गृह मंत्रालय राहत एवं प्रतिक्रिया तथा समग्र प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है, और कृषि एवं सहकारिता विभाग सूखा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है। अन्य मंत्रालयों को आपदाएं, जो उनके क्षेत्र में घटित हों, के मामले में आपात सहायता मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है; जैसा कि सारणी 7.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.6

विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रालय

आपदा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन (सूखे से भिन्न)	नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय
सूखा राहत	कृषि मंत्रालय
वायु दुर्घटना	नागर विमानन मंत्रालय
रेलवे दुर्घटना	रेलवे मंत्रालय
रसायन आपदा	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
जैवकीय आपदा	स्वास्थ्य मंत्रालय
न्यूक्लीयर आपदा	परमाणु ऊर्जा विभाग

निम्नलिखित निर्णयन एवं स्थायी निकाय केंद्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं:-

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रीमण्डल,
- उप-प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला अधिकार प्राप्त मंत्री समूह,
- मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी),
- केंद्रीय राहत आयुक्त की अध्यक्षता में संकट प्रबंधन समूह (सीएमजी); जिसमें विभिन्न मंत्रालयों एवं अन्य संबंधित विभागों से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अपेक्षित आकस्मिकता योजनाओं, उपायों की पुनरीक्षा करते हैं और आपदा तैयारी जवाबदेयता एवं राहत के संबंध में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कार्यकलापों को समन्वित करते हैं।
- तकनीकी संगठन जैसे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (चक्रवात/भूकंप), केंद्रीय जल आयोग (बाढ़), भवन एवं सामग्री संवर्धन परिषद (निर्माण कानून), भारतीय मानक ब्यूरो (मानक), रक्षा अनुसंधान एवं

विकास संगठन (न्यूक्लीयर/जैववैज्ञानिक); सिविल डिफेंस महानिदेशालय आपदा प्रतिक्रिया एवं प्रबंधन कार्यों के समन्वय में विशिष्ट तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

□ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन गृह मंत्रालय द्वारा सरकार के भीतर प्रस्तावित शीर्षस्थ ढांचे के रूप में तैयार किया जा रहा है। अन्य प्रमुख संगठनात्मक पहलों में निम्न हेतु प्रस्ताव किया गया है;

(क) अणुवीय/जैविक/रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेषीकृत एवं उद्दिष्ट प्रतिक्रिया टीम स्थापित करना;

(ख) प्रत्येक राज्य में तलाशी एवं बचाव टीमें स्थापित करना;

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संचार प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना।

राज्य सरकार

22. प्राकृतिक आपदाओं को रोकने की जिम्मेदारी मूल रूप से राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार की भूमिका प्रत्यक्ष एवं वित्तीय संसाधनों को पूरा करने के संबंध में सहयोगात्मक होता है। राज्य का मुख्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता है, जिसके पास राज्य में राहत कार्यों का समग्र प्रभार होता है और राहत आयुक्त, जो अपने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत एवं पुनर्वास उपायों का प्रभारी होता है, पूरी तरह से राज्य स्तरीय समिति के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। कई राज्यों में सचिव, राजस्व विभाग भी राहत का प्रभारी होता है। राज्य सरकारों की सामान्य तौर पर राहत मैनुअल्स हैं और जिलों के अपने आकस्मिकता प्लान होते हैं, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है।

जिला एवं स्थानीय स्तर

23. जिला प्रशासन सभी सरकारी योजनाओं एवं कार्यकलापों को लागू करने के लिए केंद्र बिन्दु होता है। प्रशासनिक राहत के वास्तविक दिन-प्रति-दिन का कार्य कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त की जिम्मेदारी है, जो जिला स्तर पर सभी विभागों पर समन्वय और देखरेख शक्तियों का प्रयोग करता है। यद्यपि यह एक सामान्य परिघटना नहीं हो सकती, कुल मिलाकर जिलों में एक जिला स्तरीय राहत समिति भी होती है, जिसमें कर्मचारी और गैर कर्मचारी शामिल होते हैं।
24. 73 वें और 74 वें संशोधनों में पंचायती राज्य संस्थानों को "स्व सरकार संस्थान" के रूप में मान्यता की गई। संशोधन में महिलाओं सहित कमजोर वर्गों के लिए उनके गठन की संरचना, शक्तियां, कार्य, वित्त व्यवस्था का हस्तान्तरण, नियमित चुनाव कराना और आरक्षण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी निर्धारित हैं। ये स्थानीय निकाय शीघ्र संसूचन प्रणाली, राहत वितरण, पीड़ितों को आश्रय प्रदान करने, चिकित्सा सहायता आदि के जरिए आपदा को दूर करने में प्रभावी साधन हो सकते हैं।
25. राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तरों के अलावा, इसमें विभिन्न संस्थानिक पणधारी हैं, जो देश में विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन में शामिल हैं। इनमें पुलिस एवं अर्ध-सैनिक बल, सिविल डिफेंस तथा होमगार्ड, फायर सेवा, पूर्व सैनिक, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मीडिया और एचएएम ऑपरेटर शामिल हैं, इसमें उन सभी को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है।

सशस्त्र बल

26. सशस्त्र बलों को मदद करने के लिए और विशिष्ट कार्य करने के लिए तभी बुलाया जाता है, जब स्थिति सिविल प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो। व्यवहारतः, सशस्त्र बल, सरकार की कार्य क्षमता के मूल बिन्दु होते हैं और बड़ी आपदा में भारत सरकार का प्रथम उत्तरदायी होना माना जाता है। प्रतिकूल जमीनी परिस्थितियों में कार्रवाई निर्धारित करने की उनकी योग्यता के कारण, प्रचालनात्मक प्रतिक्रिया स्पीड-एवं संसाधनों तथा अपने स्तर पर क्षमताओं के कारण सशस्त्र बलों ने आपात सहायक कार्यों में, जैसे कि संचार, तलाशी एवं बचाव कार्यों, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, परिवहन, विद्युत, खाद्य एवं सिविल आपूर्तियों, लोक कार्य एवं इंजीनियरिंग, विशेष रूप से आपदा घटना के तुरन्त बाद के कार्यों में

ऐतिहासिक रूप से प्रमुख भूमिका अदा की है। आपदा प्रबंधन योजनाओं में उनकी अपेक्षित भूमिका को शामिल करना चाहिए, ताकि उन्हें नियोजित करने की प्रक्रिया को सामान्य एवं त्वरित बनाया जा सके।

बाहरी लिंकेज

27. भारत सरकार आपदा प्रतिक्रिया एवं राहत के क्षेत्र में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्य है। जबकि नीति के रूप में आपदा की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई अनुरोध नहीं किए जाते हैं, अपने आप प्रदान की गई सहायता स्वीकृत है। निम्नलिखित संगठनों में लिंकेज मौजूद है:
- (क) मानवीय कार्यों के समन्वय के लिए यूएन ऑफिस (यूएनओसीएचए), जिसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय आपदा कार्यों के लिए यूएन जनरल एसेम्बली अधिदेश द्वारा जिम्मेदार बनाया गया है।
- (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जो आपदा प्रबंधन के न्यूनीकरण एवं निवारण पहलुओं के लिए जिम्मेदार है।
- (ग) यू एन आपदा प्रबंधन एवं समन्वय (यूएनडीपी) प्रणाली आपदा कार्य के लिए संस्थानिक व्यवस्थाओं को सरल एवं कारगर बनाना।
28. आपदा कार्य हेतु संस्थानिक व्यवस्थाएं आपदा प्रबंधन प्रणाली का दिल होती हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों के व्यवस्थापन में अनुभवी सिविलियन एवं मिलिट्री, दोनों कार्मिकों का अभाव नहीं है। तथापि, इसमें निश्चित रूप से सुधार पर जोर देने की जरूरत है और इस संबंध में आपदा के शुरूआती कार्य को अधिक प्रभावी एवं पेशेवर बनाने के लिए मौजूदा संस्थानिक व्यवस्थाओं एवं प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। अधिकांश संसाधनों एवं विशेषज्ञता को सरकार के पास पहले से मौजूद होना आवश्यक है। जिसे सरल एवं कारगर बनाए जाने की जरूरत है, वह है उन्हें कैसे एकीकृत, प्रशिक्षित विकसित करना चाहिए। कुछ क्षेत्र, जहां तत्काल सुधार की जरूरत है, ये हैं:
- (क) आपदाओं के लिए एकीकृत योजना, जिसमें जिले से राज्य और केंद्र सरकार में सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजना में संगत समस्त बल के गठनों का एकीकरण शामिल है।
- (ख) सभी राज्य राजधानियों में अतिरिक्त संचार एवं डाटा लिंकों के साथ आधुनिक, स्थायी राष्ट्रीय कमाण्ड सेंटर अथवा प्रचालन कक्षों की स्थापना। राष्ट्रीय कमाण्ड सेंटर अथवा प्रचालन कक्ष में 24 घंटा आधार पर वर्तमान एकीकृत कार्य को पूरा करने के लिए व्यावसायिकों द्वारा मानव संचालित बनाए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ में एक उचित रूप से सज्जित प्रचालन कक्ष होना आवश्यक है।
- (ग) एक राष्ट्रीय आयात उपयोगी शीघ्र कार्रवाई करने वाली टीम की स्थापना करना, जो जल्दी पहुंचने वाली अनुभवी प्रतिक्रिया टीम द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के स्टाफ से लिए गए मिलिट्री एवं सिविलियन, दोनों अनुभवी व्यावसायिकों से गठित टीम होगी। इस टीम को व्यावसायिक रूप में उसी तरह संगठित एवं संचालित किया जा सकता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन एवं समन्वय (यूएनडीपी) टीमों को।
- (घ) सभी राज्य राजधानियों में प्रशिक्षित स्टाफ एवं आधुनिक उपकरण, जैसे कि थर्मल इमैजर्स, ध्वनि अवखोजन उपकरणों आदि से अग्नि सेवा के भाग के रूप में पूर्ण रूप से सुसज्जित तलाशी एवं बचाव यूनिट स्थापित करके सभी स्तरों पर शहरी तलाशी एवं बचाव क्षमता का सृजन। यह प्रत्यक्ष बोध है, कि गुजरात भूकंप में सामने आई एक बड़ी कमजोरी भारत में विशेषीकृत शहरी खोज एवं बचाव क्षमता की कमी था।
- (ङ) रीयल टाइम टेलीविजन रिपोर्टिंग की बढ़ती घटना को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूलित मीडिया पॉलिसी जो शीघ्र एवं दक्षतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए भारी राजनैतिक दबाव डालता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रभाव भविष्य में बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है।
- (च) आपदा प्रतिक्रिया के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहायता, एक बार शुरू होने पर, अर्थात् सीमाशुल्क, इमीग्रेशन, विदेश नीति पहलू, आदि शुरू करने के संबंध में उपयुक्त प्रणाली स्थापित करने की बेहतर समझ के साथ क्लोजर अन्तर्राष्ट्रीय। प्राकृतिक आपदा पर आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की गति एवं

स्वचलन की अत्यधिक मूल्यांकन करने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय और आपदा कार्य से संबद्ध अन्तः राष्ट्रीय एजेसियों के बीच गहन आपसी बातचीत आवश्यक है।

- (छ) घरेलू मानवीकरण एवं गैर-सरकारी स्रोतों से राहत सहायता के संबंध में मानक प्रक्रियाएं। संदेह से बचने के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संबंधी प्रणाली के मामले में दी जा रही सहायता के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को तैयार किए जाने की जरूरत है।
- (ज) आपदा प्रबंधन हेतु आधुनिक एकीकृत विधान। राज्य और राज्य में केंद्र सरकार, केंद्र एवं समवर्ती सूचियों के बीच जिम्मेदारियों के वर्तमान विभाजन को देखते हुए इसमें प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारियों एवं शक्तियों की स्पष्ट रूप से रूपरेखा तैयार करते हुए और यह उल्लेख करते हुए कि कौन सी शक्तियाँ अथवा कार्रवाईयों को भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आपदा घोषणा पर प्रयोग किए जाने की जरूरत होगी, प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विधान निकाय बनाने की जरूरत है। इस विधान में रासायनिक आपात स्थितियों से निपटने वाले वर्तमान विधान को भी शामिल करना चाहिए, जिसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, जिससे आपात स्थितियों में एक ही कानून का प्रयोग किया जा सके। विधान में राष्ट्रीय स्तर पर संघटित आपदा की स्पष्ट परिभाषाएं शामिल होनी चाहिए।

वित्तीय व्यवस्थाएं

राहत व्यय की वित्त व्यवस्था

29. प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत व्यय को पूरा करने के लिए नीति विषयक व्यवस्थाएं, कुल मिलाकर उत्तरोत्तर वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होती हैं। ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए वर्तमान में खुली दो मुख्य खिड़कियां आपदा राहत निधि (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) हैं। आपदा राहत निधि को चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग्नि, बाढ़ एवं ओलावृष्टि के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए व्यय को पूरा करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। क्षतिग्रस्त पूंजीगत कार्यों के जीर्णोद्धार संबंधी व्यय को सामान्यतः सामान्य बजटीय शीर्ष से पूरा किया जाना चाहिए, सिवाय इसके, जब इसे तत्काल राहत, जैसे कि पेय जल स्रोतों के जीर्णोद्धार अथवा आश्रयगृह आदि के प्रावधान, अथवा राहत कार्यों को सुकर बनाने के लिए संचार लिंकों के पुनरुद्धार करने के भाग के रूप में प्राप्त किया जाना हो। 2000-01 से 2004-05 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य के सीआरएफ में वार्षिक अंशदान की राशि वित्त आयोग द्वारा दर्शाए गए अनुसार है। दर्शायी गई कुल अंशदान में से भारत सरकार, गैर-योजना अनुदान के रूप में कुल वार्षिक आबंटन का 75 प्रतिशत अंशदान करती है, और शेष राशि का अंशदान संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 2000-05 से आपदा राहत निधि के लिए कुल 11,007,59 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए थे।
30. ग्यारवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सीआरएफ से भिन्न राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) योजना, वित्तीय वर्ष 2000-01 से लागू है और वित्तीय वर्ष 2004-05 की समाप्ति तक लागू रहेगा। एनसीसीएफ को प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़ एवं ओलावृष्टि की सहायता हेतु जाना जाता है, जिसे अपने स्वयं के आपदा राहत निधि में उपलब्ध अधिक शेष में राज्य सरकार द्वारा गंभीर स्वरूप की व्यय अपेक्षा होना समझा जाता है। एनसीसीएफ से सहायता सिर्फ तत्काल राहत एवं पुनर्वास के लिए उपलब्ध है। संपत्तियों का पुनर्निर्माण अथवा क्षतिग्रस्त पूंजी की पुनरुद्धार योजना निधियों के पुनर्आबंटन के जरिए वित्त पोषित होनी चाहिए। इस संबंध में व्यवस्थाओं को निर्धारित करने की जरूरत है।
31. भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राष्ट्रीय निधि की शुरुआती राशि 500 करोड़ रूपए है। इस निधि को केंद्रीय करों पर एक सीमित अवधि के लिए विशेष अधिकार लगा करके पुनः समूहित किया जाना अपेक्षित है। लगभग 2,300 करोड़ रूपए की राशि को एनसीसीएफ से पहले ही राज्यों को जारी किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप सीआरएफ/एनसीसीएफ हेतु प्रभार्य सहायता के लिए व्यय के मर्दों एवं मानकों की सूची समय-समय पर विस्तार में निर्धारित की जाती है।

पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए आपदा प्रबंधन की वित्त व्यवस्था

32. यद्यपि विगत में पंचवर्षीय दस्तावेजों में विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, भारत सरकार का प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए योजना से निधियों के प्रयोग का एक लम्बा इतिहास रहा है। निधियां तय योजनाओं के तहत, अर्थात् भारत सरकार की योजनाओं के तहत उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पेय जल के लिए, रोजगार सृजन के लिए, कृषि के लिए इनपुट और बाढ़ नियंत्रण उपायों आदि के लिए उपलब्ध होते हैं। इसमें जिला/राज्य प्रशासन द्वारा प्रमाणन कृषि कार्यों के लिए, लिए गए अल्प अवधि ऋणों के पुनर्निर्धारण की सुविधाएं भी हैं। केंद्र सरकार की संपत्तियों/अवसंरचनाओं का भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा मरम्मत/आशोधन किया जाना होता है। इसके अलावा निधि को बड़े स्तर की आपदा घटित होने पर राहत और पुनर्वास के लिए स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों दानदाताओं से तथा कुल मामलों में दीर्घ अवधि तैयारी/निवारक उपायों के लिए प्राप्त किया जाता है। परवर्ती कार्यों के लिए निधियां बहुपक्षीय निधियन एजेंसियों जैसे कि विश्व बैंक से भी उपलब्ध होता है। ये राज्य योजना के भाग हैं।
33. इसमें कई महत्वपूर्ण कार्यरत योजनाएं भी हैं, जो विशेष रूप से आपदा सुभेद्यता को कम करने में मदद करती हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं; इंटीग्रेटेड वेस्टलैण्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनरोपण एवं ईकोडेवलपमेंट कार्यक्रम (एनए एवं ईडी) त्वरित ग्रामीण जब आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) फसल बीमा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) कार्य आदि के लिए खाद्य।

विभिन्न निकायों द्वारा योजना के तहत वित्तपोषण के संबंध में प्रस्तावित पहल

34. उच्च अधिकार समिति (एचपीसी) द्वारा आपदा प्रबंधन पर साथ ही ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा आपदा प्रबंधन में योजना कार्य हेतु हाल ही में पत्र प्राप्त हुए हैं। एचपीसी का गठन 1999 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 2001 में पेश की। एचपीसी ने देश में सभी नये आपदाओं (प्राकृतिक के साथ मानवनिर्मित) का अवलोकन किया और कई सकारी, गैर-सरकारी, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों मीडिया संगठनों के साथ कई मंत्रणाओं के आधार पर सामान्य प्रतिक्रिया एवं तैयारी प्रणालियों की पहचान की है। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राष्ट्रीय राज्य एवं जिला स्तरों पर कम से कम 10 प्रतिशत योजना निधियों को उन योजनाओं के लिए, जो विशेष रूप से निर्धारित क्षेत्रों, जैसे कि आपदाओं के निवारण, न्यूनीकरण, तत्परता एवं उन्हें कम करने के लिए उद्दिष्ट एवं संविभाजित होना चाहिए।
35. ग्यारहवें वित्त आयोग ने भी आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान दिया है और आपदा राहत पर इसके चैप्टर में कई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से निम्नलिखित का प्लान पर सीधा प्रभाव है:
- (क) अवसंरचना एवं अन्य पूंजी संपत्तियों पर व्यय, यह उनको छोड़कर है जो तालिक रूप से राहत कार्यों से संबद्ध हैं और प्रभावित क्षेत्र एवं जनसंख्या से संयोजिता को प्राथमिकता आधार पर योजना निधि से पूरा करना चाहिए।
- (ख) भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं योजना आयोग द्वारा विकासात्मक कार्य शुरू करके इन आपदाओं की घटनाओं को कम करने के लिए, तथा यदि संभव हो, दूर करने के लिए मध्यम एवं दीर्घ अवधि उपायों का सुझाव दिया गया है।
- (ग) योजना आयोग को राज्य सरकारों एवं संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके विशिष्ट आपदाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्वरूप के कार्यों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। इन कार्यों को योजना शीर्ष के तहत निधिकृत होना चाहिए।

सुरक्षित राष्ट्रीय विकास हेतु योजना

36. विकास कार्यक्रम, जो स्थानीय स्तर पर विकास बढ़ाते हैं, को सामान्य योजना प्रक्रिया के लिए छोड़ दिया गया है। सामान्य योजना प्रक्रिया के साथ स्थानीय स्तर पर एकीकृत आपदा न्यूनीकरण प्रयास के लिए

उपाय किए जाने की जरूरत है और सभी स्तरों पर, राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तरों पर आपदाओं के प्रबंधन के संबंध में पहल करने हेतु अधिक सहायक माहौल सृजित किए जाने की जरूरत है। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु भावी ब्लू-प्रिंट उस परिसर में निहित है, जो आज के समाज में है, जबकि जोखिम, प्राकृतिक अथवा अन्यथा दोनों अपरिहार्य हैं, आपदा, जो इस तरह की न हो, और समाज को उस आपदा से, जब भी घटित हो, प्रभावी रूप से सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। इसमें संपूर्ण जोखिम प्रबंधन हेतु एक बहुआयामी नीति तैयार करना समय की जरूरत है, जिसमें एक ओर निवारण, तैयारी, प्रतिक्रिया एवं समुत्थान शामिल है और दूसरी ओर जोखिम न्यूनीकरण एवं कम करने के संबंध में लक्ष्यगत विकास प्रयासों को शुरू करना है। तभी “धारणीय विकास” प्राप्त किया जा सकता है।

आपदा निवारण एवं तैयारी उपाय जानकारी और अनुसंधान नेटवर्क

37. आपदा निवारण मूलभूत रूप से निवारक योजना से जुड़ी है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:-

- (क) सुभेद्यता विश्लेषण एवं उद्देश्य परक जोखिम मूल्यांकन की विस्तृत प्रक्रिया लागू करना।
- (ख) एक सुदृढ़ एवं ठोस जानकारी डाटाबेस तैयार करना: जलवायु मौसम एवं मानव निर्मित संरचनाओं पर वर्तमान जानकारी के साथ राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर विकसित भूमि प्रयोग, जनसांख्यिकी, अवसंरचना का एक विस्तृत डाटाबेस, आपदाओं की योजना, संसूचना और निर्धारण में महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं उपकरण सहित सरकारी एवं गैर सरकारी प्रणाली की संसाधन मालसूचियां महत्वपूर्ण उपायों के दक्ष जुटाव एवं ईष्टतम उपयोग में मदद करती हैं।
- (ग) अत्याधुनिक अवसंरचना का निर्माण: संपूर्ण आपदा न्यूनीकरण कार्य योजना को आवश्यक रूप से यथार्थवादी तरीके में समग्र अनुसंधान एवं विकास हेतु लक्ष्यगत होना चाहिए। विश्वव्यापी रूप में उपलब्ध अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को आपदा प्रबंधन प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए भारत में उपलब्ध कराया जाना चाहिए : उसी क्षण, आपदा, जैसे कि जैविक, स्पेस एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, न्यूक्लीयर विकिरण आदि से संबंधित सभी सीमान्त क्षेत्रों में ठोस आपदा प्रबंधन योजना हेतु उच्च गुणवत्ता वाली मूलभूत जानकारी के निरन्तर प्रवाह हेतु समर्पित अनुसंधान कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- (घ) **सभी जानकारी आधारित संस्थानों के बीच लिंकेज (जुड़ाव) स्थापित करना:** बहुसंख्य प्रयोगकर्ताओं, जैसे कि आपदा प्रबंधकों, निर्णायकों, समुदाय आदि की महसूस की गई जरूरतों के लिए उन्नत एक राष्ट्रीय आपदा जानकारी नेटवर्क उनके सभी अलग-अलग आयामों में प्राकृतिक मानवनिर्मित एवं जैविक आपदाओं को शामिल करने हेतु नेटवर्कों के नेटवर्क के रूप में तैयार करना चाहिए।

क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं शिक्षा

38. प्रक्रिया में शामिल कार्मिकों को अपने पास उपलब्ध बेहतर पद्धतियों एवं संसाधनों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। रिस्पोर्टों को बेहतर प्रतिक्रिया देने एवं आपदाओं को कम करने के तरीकों में जानकारी एवं प्रशिक्षण आपदाओं को कम करने और रोकने के लिए देश के क्षमता निर्माण एवं समुत्थान शक्ति में काफी उपयोग होगा। प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि प्रशिक्षित कार्मिक विभिन्न आपदाओं में अधिक बेहतर तरीके में कार्य कर सकते हैं और निवारक उपायों के लिए जरूरत का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस संबंध में निर्देश इस प्रकार हैं:

- (क) आपदा प्रबंधन के लिए बहु-क्षेत्रक एवं बहु-जोखिम निवारण आधारित दृष्टिकोण में विशिष्ट व्यावसायिक इनपुटों की जरूरत होती है। आपदा प्रबंधन में व्यावसायिक प्रशिक्षण मौजूदा शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षा में निर्मित होना चाहिए। आपदा प्रबंधन के लिए विशेषीकृत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों द्वारा तैयार किए जाएं, और आपदा प्रबंधन को कुछ इस तरह के विशिष्ट शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अनुशासन के रूप में समझा जाना चाहिए जो अमेरिकन शिक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक किया है। आपदा प्रबंधन में अलग डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों के अलावा, विषय को व्यावसायिक एवं विशेषीकृत पाठ्यक्रमों, जैसे कि मेडिसिन, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान,

- आर्चीटेक्चर एवं नगर एवं देश की योजना में एक विशिष्ट संघटक के रूप में चर्चा किए जाने और पढ़ाए जाने की जरूरत है;
- (ख) निवारक आपदा प्रबंधन तथा राष्ट्रीय निवारण लोकाचार के विकास के संबंध में फोकस सभी स्तरों पर जागरूकता जगाने के लिए आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर आपदा जागरूकता का उपयुक्त संघटक बच्चों में और कई मामलों में इन बच्चों के माध्यम से माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। प्रतिधारित आधार पर आपदा से संबंधित जानकारी फैलाने के संबंध में फोकस के साथ पाठ्यक्रम विकास को देश में विभिन्न स्कूल बोर्डों द्वारा तैयार किया जाए।
- (ग) आपदा प्रबंधन में शामिल सरकारी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेंटर (एनसीडीएम) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किए जाते हैं, जो देश में आपदा प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन में नोडल संस्थान के रूप में काम करते हैं। राज्य स्तर पर राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) में कार्य कर रहे आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्तमान में, 24 प्रशिक्षण संस्थान समर्पित सुविधा केंद्र के रूप में हैं। इसमें विशेषीकृत प्रशिक्षण को, जिसमें आपदा कार्य में कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल है, सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है।
- (घ) क्षमता निर्माण को आपदा प्रबंधन में शामिल व्यावसायिकों एवं कार्मिकों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समुदाय को आपदा प्रभावों से लड़ने हेतु जानकारी, व्यवहार एवं कौशल निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। पहली प्रक्रिया उपायों के साथ-साथ न्यूनीकरण उपायों के संबंध में समुदाय से स्वयंसेवकों की पहचान एवं प्रशिक्षण अति आवश्यक है। आपदा की स्थिति में त्वरित एवं उपयुक्त सामुदायिक जवाबदेही को सक्षम बनाने के लिए अरक्षित क्षेत्रों में आवधिक ड्रिल कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, जो रक्षित जीवन को सुरक्षित करने मदद कर सकता है।
39. अतः, प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण को आधारभूत बनाए जाने की जरूरत है और एक ओर समुदाय एवं स्थानीय स्तर के रिस्पॉंडरों तथा दूसरी ओर राज्य एवं राष्ट्र के संस्थानिक तंत्र से जोड़ा जाना भी जरूरी है।
- सामुदायिक स्तर की पहल**
40. किसी आपदा प्रबंधन पहल का लक्ष्य अपनी स्वयं की विकास प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सुरक्षित जीवन एवं धारणीय आजीविका से सज्जित एक आपदा-रोधी/लचीले समुदाय का निर्माण करना है। समुदाय ही किसी भी आपदा स्थिति में पहला रिस्पॉंडर भी होता है, जिससे आपदाओं के व्यवस्थापन में सामुदायिक स्तर की पहल पर जोर देने की जरूरत है। ऐसी पहल-शक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं:
- (क) आपदा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा जानकारी प्रचार के जरिए जागरूकता पैदा करना समुदाय को आपदाओं का सामना करने में सशक्त बनाने के लिए आवश्यक उपाय हैं।
- (ख) अधिकांश गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) द्वारा अपनाए गए समुदाय आधारित दृष्टिकोण को एक प्रभावी सामुदायिक भागीदारी वाहन के रूप में आपदा प्रबंधन प्रणाली में शामिल करना चाहिए।
- (ग) सुभेद्य समुदाय के भीतर समूह मौजूद होते हैं, जो महिलाओं एवं बच्चों प्रौढ़ एवं अशक्त तथा शारीरिक रूप से अशक्त लोगों की तरह अधिक सुभेद्य होते हैं, जिन्हें, विशेष रूप से आपदा स्थिति में विशेष ध्यान देने एवं देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे सुभेद्य समूहों की पहचान करना तथा आपातस्थितियों में उन्हें निष्क्रमण, राहत सहायता एवं चिकित्सा देखभाल के संबंध में विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास करना आवश्यक हैं।
41. अतः आपदा प्रबंधन को आपदाओं को कम करने और रोकने के लिए समुदाय के बीच एक अंतरापृष्ठ होना चाहिए, साथ ही लोकप्रिय पहलों को सहारा देने एवं सहायता करने के लिए सरकारी मशीनरी से एक प्रयास भी होनी चाहिए।

योजना कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाना

42. आपदाओं के व्यापक स्वरूप एवं उनमें से किसी के कारण पैदा हुई व्यापक बर्बादी को देखते हुए सीआरएफ के अतिरिक्त आपदा न्यूनीकरण एवं निवारण उपायों पर आयोजित व्यय अपेक्षित है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कार्यक्रम के केंद्रीय क्षेत्र की योजना को कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए क्षमता बढ़ाने हेतु न्यूनीकरण एवं तैयारी उपायों पर जोर देने के साथ आपदा तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से 1993-94 से लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चलाए गए प्रमुख कार्यकलापों में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेंटर (एनसीडीएम) का गठन शामिल है, 23 राज्यों में 24 आपदा प्रबंधन संकायों का सृजन, अनुसंधान एवं परामर्शी सेवाएं, प्रमुख आपदा घटनाओं का प्रलेखन एवं फॉर्जिंग क्षेत्रीय सहयोग शामिल है। इस योजना के लिए 6.30 करोड़ रूपए की आठवीं योजना आबंटन को नौवीं योजना में बढ़ा कर 16.32 करोड़ रूपए किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत एनसीडीएम ने 50 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 1000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जबकि समर्पित संकाय के साथ 24 आपदा प्रबंधन सेंटर राज्यों में स्थापित किए गए हैं। 4000 से अधिक लोगों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन और ऑडियोविजुअल प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और आपदा घटनाओं का प्रलेखन किया गया है।
43. यद्यपि, क्षेत्र एवं परिव्यय में सीमित, योजना ने देश में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यकलापों पर प्रभाव डाला है। सभी 28 राज्यों में आपदा प्रबंधन में संकायों का सृजन आपदा प्रबंधन में समुदाय जुटाव, मानव संसाधन विकास, नियंत्रण कक्षों की स्थापना तथा फॉर्जिंग अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अलावा दसवीं योजना में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें विश्वविद्यालयों में, ग्रामीण विकास संस्थानों में तथा अन्य प्रमुख अनुसंधान संगठनों में आपदा प्रबंधन संकाय सृजित करके आपदा प्रबंधन शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने की भी तत्काल जरूरत है।
44. विकास प्रक्रिया में धारणीयता मुख्य शब्द है। विकास कार्यकलाप, जो भावी आपदा हानि पर ध्यान नहीं देते, टिकाऊ नहीं होते। जीवन क्षति, संपत्ति क्षति, आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित आपदाओं की मिश्रित लागत और केवल संपत्तियों की नहीं, बल्कि जीवन निर्माण लागत कभी-कभी किसी समुदाय अथवा राष्ट्र द्वारा वहन की जा सकती है। इसलिए सुभेद्य क्षेत्रों में सभी विकास योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण विश्लेषण शामिल होना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र की सुभेद्यता के संबंध में परियोजना की व्यवहार्यता को धारणीय हेतु अपेक्षित न्यूनीकरण उपायों को निर्धारित किया जा सके। अतः पर्यावरण संरक्षण, वनरोपण कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण, भूकंप रोधी संरचनाओं आदि को योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
45. न्यूनीकरण कार्यनीति का उद्देश्य भविष्य में घटित खतरे की स्थिति में क्षतियों को कम करना है। संरचनात्मक न्यूनीकरण में अलग-अलग आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं, जैसे कि रेट्रोफिटिंग अथवा भूकंप प्रतिरोधी भवन का निर्माण अथवा ऐसी संरचनाओं का निर्माण शामिल हो सकता है। जिनका कार्य मुख्य रूप से, बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं, बांधों, तटबंधों, इंफिल्टरेशन बांधों आदि जैसा आपदा संरक्षण है।
46. अलग-अलग संरचनाओं पर न्यूनीकरण उपायों को डिजाइन मानक, बिल्डिंग कोड एवं निष्पादन विनिर्देशनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मजबूत इंजीनियरीकृत संरचनाओं को प्राप्त करने के लिए भवन कोड, महत्वपूर्ण फ्रंट लाइन डिफेंस क्षेत्र की सुभेद्यता के अनुसार तैयार किए जाने की जरूरत है और उपयुक्त टेकनो-लीगल उपायों के जरिए क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है।
47. न्यूनीकरण उपायों पर भूमि के इस्तेमाल और साइट प्लानिंग कार्यकलापों में विचार किए जाने की जरूरत है। खतरनाक क्षेत्र, जैसे कि फ्लड प्लेन्स अथवा अत्यधिक शॉफ्ट स्लोप में निर्माण आपदाओं के लिए अधिक सुभेद्य हैं। आवश्यक न्यूनीकरण उपाय, डिजाइन एवं विकास परियोजनाओं की लागत में तैयार किए जाने की जरूरत है।

48. बीमा, संभवतः आपदा संभावित क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण न्यूनीकरण उपाय है, क्योंकि यह आधारभूत सुविधा एवं संचेतता में गुणवत्ता लाता है और निर्माण आदि में भवन कोड, मानकों, दिशा-निर्देशों गुणवत्ता सामग्रियों के अनुपालन पर जोर देकर एक सुरक्षा स्वरूप प्रदान करता है। आपदा बीमा अधिकांशतः “अधिक जोखिम अधिक प्रीमियम”, “कम जोखिम कम प्रीमियम” के आधार पर कार्य करता है, इस प्रकार सुभेद्य क्षेत्रों के संबंध में जागरूकता पैदा करता है और लोगों को सापेक्षिक रूप से सुरक्षित क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करता है।

आगे का मार्ग

49. प्राकृतिक आपदाओं, जैसे कि बाढ़ एवं सूखे से निपटने के लिए इसमें पहले ही से कई कार्य योजनाएं मौजूद हैं, जिनके तहत काफी कुछ किया जा रहा है और किया जा सकता है। राज्य सरकारों को मौजूदा कार्य योजनाओं का पूर्ण प्रयोग करने और ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए प्राथमिकता देने की जरूरत है, जो आपदा से उत्पन्न रिक्तियों से निपटने में मदद करेंगे। कुछ मामलों में, इसमें दूसरी योजनाओं से निधियों का उन योजनाओं में संभावित विपथन निहित है, जिनका क्रियान्वयन स्थिति को ठीक करने में मदद करेगा। इसमें अलग-अलग विभागों में कुछेक पुनर्विनियोजन/पुनर्आबंधन हेतु एक विकट स्थिति भी पैदा हो सकती है।
50. योजना आयोग यथासंभव जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाओं के समायोजन को सक्षम बना कर प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए योजना से संबंधित मामलों में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्यों की जरूरतों पर शीघ्रता से गौर करेगा। एक प्रणाली उन प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए तैयार की जाएगी, जिनमें एक योजना से दूसरी योजना में निधियों का अन्तरण शामिल है अथवा कोई अन्य परिवर्तन, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के मामले में मौजूदा योजनाओं/सहायता पद्धति, नई योजनाओं और प्रक्रियाओं आदि में छूट से विचलन शामिल है।
51. तथापि, किसी भी आपदा स्थिति में प्रथम रिस्पोंडर के रूप में प्रत्येक राज्य को एक टीम, कुशल कार्मिक तैयार करने, विशेषीकृत उपकरणों के लिए, दक्ष संचार नेटवर्क के लिए प्रावधान करने, और सुसंगत, समझदार एवं राहत सुगम्य डाटाबेस के लिए प्रावधान करने की जरूरत है। इसमें प्रत्येक राज्य में मूल रूप से संचार एवं आपात नियंत्रण कक्षाओं के सुदृढीकरण के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य योजना के सृजन पर विचार करने की भी जरूरत है, जिससे आपदाओं के समन्वय एवं जिम्मेवारी में सुधार लाया जा सके। ऐसी योजना में नई संस्थानिक संरचनाओं को सृजित करने की जरूरत नहीं है।
52. विशेषतः बड़ी आपदाओं के संबंध में यह सभी विकास परियोजनाओं में बनाए जाने वाले आपदा न्यूनीकरण संघटकों के लिए भी आवश्यक है। बाद में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास पर भारी व्यय को बचाने की दिशा में एक प्रणाली उन संघटकों को लागू करने के लिए तैयार किए जाने की जरूरत होगी, जो विशेष रूप से योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए स्वीकृत परियोजना लागत के भाग के रूप में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को रोकने के लिए अत्यधिक आपदा संभावित क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं में मदद करेगी।
53. दसवीं योजना का संदेश यह है कि सुरक्षित राष्ट्रीय विकास की ओर जाने की दिशा में विकास परियोजनाओं को आपदा न्यूनीकरण के संबंध में संवेदनशील होना चाहिए। आर्थिक क्षतियों के प्रकार और विकासात्मक क्षतियों से देश वर्ष-दर-वर्ष आहत हो रहा है, यह उपायों एवं संघटकों के संबंध में एक नियोजित तरीके में मान कुछ अधिक खर्च करने के लिए अच्छी आर्थिक स्थिति बनाता है, जो आपदाओं को रोकने और कम करने में मदद कर सकता है, तब बाद में, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास पर कई गुना अधिक खर्च करने पर जोर देता है। विकास परियोजनाओं का डिजाइन और विकास प्रक्रिया को अपनी परिधि में आपदा न्यूनीकरण एवं अल्पीकरण के पहलू को ध्यान में रखना चाहिए; अन्यथा विकास टिकाऊ नहीं रहेगा और अन्ततः राष्ट्र को अधिक मुश्किल एवं क्षति होगी।

राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश

- (i) राज्य राहत एवं पुनर्वास विभाग को संपूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र- निवारण, न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्वास को देखने की जिम्मेदारी के साथ आपदा प्रबंधन विभाग में बदला जाए। निवारण/न्यूनीकरण हेतु उपायों को कई विभागों के संबंध में शुरू किए जाने की जरूरत होगी। आपदा प्रबंधन विभाग इन क्षेत्रों में सरकार के अलग-अलग विभाग द्वारा उठाए गए कदमों में सहयोग करेगा।
- (ii) न्यूनीकरण, तैयारी और प्रतिक्रिया बहु-विध कार्यकलाप हैं, जिसमें कई विभाग शामिल हैं। संगत विभागों की पूर्ण अन्तर्गतता को सुनिश्चित करने की दिशा में, राज्य सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर सकता है, जिसमें जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, सड़क, संचार, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण कार्य, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, वित्त एवं गृह सचिव सदस्य के रूप में होंगे। आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव, सदस्य सचिव हो सकता है। यह प्राधिकरण न्यूनीकरण एवं तैयारी के संबंध में, साथ ही, जब आपदा घटित हो, समन्वित प्रतिक्रिया के संबंध में समन्वित उपाय सुनिश्चित करेगा।
- (iii) यह जानकारी में आया है कि जबकि स्थानीय प्रशासन के पास बाढ़ जैसी आवर्ती किस्म की आपदा में तलाशी एवं बचाव कार्य के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं हैं, इसमें विशेषीकृत तलाशी एवं बचाव हेतु क्षमता का अभाव है। प्रत्येक राज्य को विशेषीकृत तलाशी एवं बचाव टीमों के गठन पर विचार करना चाहिए। टीमों को विशेषीकृत तलाशी एवं बचाव कार्य पूरा करने के लिए प्रशिक्षित एवं सज्जित राज्य सशस्त्र पुलिस की एक कंपनी को साथ मिलाने की जरूरत होगी। एक मोबाइल इंजीनियरिंग यूनिट को आवश्यक उपकरण के साथ और एक चिकित्सा सहायता टीम को साथ मिलाना आवश्यक होगा। इन टीमों का एक साथ गठन किया जाए और इन्हें प्रशिक्षित किया जाए ताकि एक नामोदृष्ट अधिकारी के समग्र प्रभार में एक यूनिट के रूप में काम कर सकें। प्रशिक्षण एवं उपकरण के संदर्भ में अपेक्षित मार्ग दर्शन/सलाह गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- (iv) निर्णय लिया गया है कि अग्नि सेवाओं को सभी जोखिम बचाव यूनिटों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित एवं सज्जित किया जाए, जैसा कि अन्य देशों में है। सभी प्रकार के आपदाओं में तलाशी एवं बचाव को पूरा करने के लिए फायर यूनिटों के लिए कुछ अतिरिक्त उपकरण एवं प्रशिक्षण अनिवार्य होंगे। भारत सरकार इसके लिए एक अलग परियोजना शुरू करेगी।
- (v) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि कानून व्यवस्था के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के समन्वय के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम जिला मजिस्ट्रेट के अधीन राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर स्थापित किए जाएं। पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के तहत आबंटनों का इस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाए। ऐसे कंट्रोल रूम को सहायक संचार प्रणाली के साथ उपयुक्त बनाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।
- (vi) आपदा न्यूनीकरण सरोकारों/पहलूओं को अरक्षित आपदा क्षेत्रों में प्रत्येक कार्य योजना/विकास योजना के लिए एक अनिवार्य विचारणीय विषय बनाया जाए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक कार्य योजना में यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि न्यूनीकरण सरोकारों को कैसे पूरा किया जाए। उन योजनाओं/परियोजनाओं को, जो विशेष रूप से न्यूनीकरण/निवारण का काम करती हों, प्राथमिकता दी जाए। आपदा प्रबंधन विभाग का सचिव परियोजनाओं/योजनाओं की जांच करने/स्वीकृत करने के लिए गठित सभी निकायों/टीमों का सदस्य बन सकता है।
- (vii) जारी योजनाओं के तहत उपलब्ध निधियों को न्यूनीकरण/तैयारी के लिए प्रयोग में लाया जाए। उदाहरणार्थ, ग्रामीण विकास योजना के तहत निधियों को चक्रवात संभावित क्षेत्रों में साइकिल शेल्टरों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय भवनों के स्थलों एवं डिजाइनों का इस तरह चयन किया जाए, जिससे कि वे बाढ़ के समय शेल्टरों के रूप में काम कर सकें। भूकंपीय जोन V और VI में प्राथमिक विद्यालय भवनों एवं अस्पतालों और अन्य

- महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवनों के लिए इन जोनों में डिजाइन अपेक्षाओं को निर्माण संबंधी बीआईएस मानकों के अनुसार होना आवश्यक होगा।
- (viii) प्रत्येक जोखिम संभावित जिला विशिष्ट जोखिम से संबंधित योजनाएं तैयार कर सकता है। इन योजनाओं की प्रत्येक वर्ष अप्रैल एवं मई माह में पुनरीक्षा की जाए/अद्यतन बनाया जाए।
- (ix) जोखिम संभावित क्षेत्र में स्थित प्रत्येक जिले को सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की ऑन लाइन संपत्ति सूची अनुरक्षित करना आवश्यक होगा। यह जरूरत पड़ने पर संसाधनों के सहज एवं शीघ्र जुटाव को सक्षम बनाएगा। जरूरत पड़ने पर राज्यव्यापी ऑन लाइन संसाधन माल सूची पड़ोसी जिलों से संसाधनों के जुटाव को सक्षम बनाएगा।
- (x) भूकंपीय जोन V और VI में राज्य सुनिश्चित करें कि इन जोनों के बीआईएस भवन कोडों को स्वीकार किया गया है और निगम निकायों द्वारा कठोरता से लागू किया जाता है। इन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में समस्त भवनों को बीआईएस कोड के अनुरूप होना चाहिए।
- (xi) खतरों के लिए सुभेद्य राज्यों में फील्ड स्टॉफ - वीएलडब्ल्यू, कर्मचारियों, पटवारियों, तल्हातिसों, ब्लॉक कृषि अधिकारियों, ब्लॉक पशुपालन अधिकारियों, ब्लॉक पर्यवेक्षकों, राज्य सिविल सेवा अधिकारियों, सिपाहियों, उपनिरीक्षकों, डिप्टी-एस.पी आदि को शुरुआती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपदाओं, आपदा न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया, तलाशी एवं बचाव तकनीकियों आदि के मामले में, मूलभूत क्या करें और क्या न करें पर संपुटिका को शामिल किया जाए। पहले से सेवारत कर्मचारियों के लिए सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
- (xii) शिक्षा एवं जागरूकता के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इसमें, भूकंपीय जोन V और VI में निजी घर के निर्माण के साथ-साथ चक्रात के लिए सुभेद्य क्षेत्र में मूलभूत डिजाइन अपेक्षाओं की जागरूकता को शामिल करना चाहिए।
- (xiii) एआईसीटीई को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में स्नातक पूर्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण के इंजीनियरिंग पहलूओं को शामिल करने को कहा गया है। राज्य सरकारों को अपने विश्वविद्यालयों के अधीन इंजीनियरिंग कॉलेजों के संदर्भ में इसी तरह की कार्यवाही करनी चाहिए।
- (xiv) सीबीएसई को कक्षा 8, 9 और 10 की पाठ्य-पुस्तकों में आपदा से संबंधित आधारभूत सामग्री, मूल विषय क्या करें और क्या न करें/किए जाने वाले पूर्वोपाय आदि को शामिल करने को कहा गया है। राज्य सरकार को अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपनी पाठ्य-पुस्तकों में इसी तरह के पाठ्यक्रम को शामिल करने के लिए कहना चाहिए।